कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

दिल्ली में बर्बर गैंगरेप

अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता...
-**डॉ. शिव शक्ति बक्सी**........ 6

संसद में बहस : दोषियों को मिले फांसी की सजा : **सुषमा स्वराज**........ 9

महिला आंदोलन की आयातित शब्दावली
- **मधु किश्वर**........ 10

महिलाओं को सुरक्षा व बलात्कारियों को सज़ा तो देनी ही होगी
-**अम्बा चरण वशिष्ठ**........ 13

64वें गणतंत्र दिवस पर विशेष

समस्याओं का है अम्बार
-**प्रभात झा**........ 21

स्वामी विवेकानंद सार्धशती जयंती

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता
-**विकाश आनन्द**........ 24

लेख

श्री नारायण गुरु सम्बन्धी केरल की पहल का देश में भी अनुसरण हो
-**लालकृष्ण आडवाणी**........ 16

गुजरात में लोकायुक्त मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय
-**अरुण जेटली**........ 18

हार की अस्वीकारोक्ति
-**ए. सूर्यप्रकाश**........ 25

श्रद्धांजलि

श्री श्रीकांत जोशी : आप सो गये दास्ताँ कहते-कहते
-**डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री**........ 26

मुख पृष्ठ : दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को एक युवती के साथ हुए बर्बर गैंगरेप के विरोध में इण्डिया गेट पर विरोध प्रदर्शन।

ऐतिहासिक चित्र

30 दिसम्बर 1960 को लखनऊ अधिवेशन में बैलगाड़ी पर बैठकर भाग लेने जाते हुए पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं अन्य नेतागण

आपत्तियों का भी स्वागत

सामाजिक कार्यकर्ताओं को आराम या प्रतिष्ठा के बदले प्रायः कष्ट तथा अपमान ही सहना पड़ता है; पर सच्चा कार्यकर्ता इन सबका हँसकर स्वागत करता है। संत तुकाराम जी का जीवन भी ऐसा ही था। उनके मित्रों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने उनकी निन्दा की। उन्हें पीटा, उनके रास्ते में काँटे बिखेरे। उन्हें धोखा दिया, जिससे उनकी दुकान बन्द हो गयी; पर वे सदा ईश्वर भजन में लगे रहे। उनकी पहली पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी; पर वह कम समय ही जीवित रही। दूसरी पत्नी बहुत कर्कश स्वभाव की थी। इस पर भी तुकाराम जी सदा ईश्वर को धन्यवाद ही देते हुए कहते थे – हे ईश्वर, तेरी बड़ी पा है कि ऐसी पत्नी मिली है। इस कारण मुझे सदा तेरा स्मरण बना रहता है।

श्री गुरुजी कहते थे कि सच्चा कार्यकर्ता प्रत्येक कठिनाई को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। ***असली सोना अग्निपरीक्षा से कभी घबराता नहीं, क्योंकि उसमें से वह और अधिक खरा होकर निकलता है।***

-'श्री गुरुजी बोधकथा' से साभार

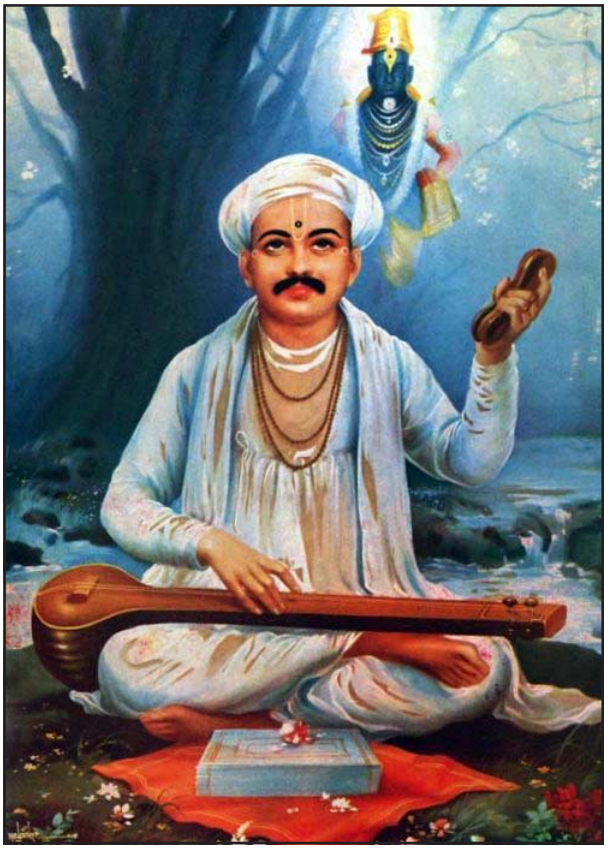

व्यंग्य चित्र

इनका कहना है...

''केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तो गंगा के अविरल प्रवाह और निर्मलता के लिए एक अलग विभाग गठित करके आरंभिक तौर पर दस हजार करोड़ का आवंटन तुरंत किया जाएगा।''

-नितिन गडकरी

राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

गणतंत्र पर नोटतंत्र हावी नहीं हो सकता

जनता जवान हो रही है और जुबान खोल रही है। घरों से सड़कों पर आ रही है। मोमबत्ती ही सही पर उस अग्नि की लौ में विरोध का स्वर तो दिखता ही है। सड़कों पर आई इस अभिव्यक्ति को यूपीए सरकार को समझना चाहिए। गैंगरेप, नारी उत्पीड़न; राजनीति का मसला नहीं, पर राष्ट्र एक नई नीति की मांग तो कर ही रहा है। दामिनी की मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि वह मृत्यु के साथ ही हर घर में पहुंच गयी। इस समय भारत के घर-घर की एक ही आवाज है-''बनाओ कानून - दो फांसी।'' देश के राजनीतिक दलों को सड़कों से आए जन-जन के संदेशों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये जनसंदेश जन-जन की वेदना से जुड़े हैं। जो सरकार जनभावनाओं को न समझे और आंदोलनों का दमन करने के साथ-साथ राजनैतिक रोटी सेंकने का प्रयत्न करे तो उसके ऐसे कृत्य की निंदा चारों ओर होना स्वाभाविक है।

कांग्रेसनीत यूपीए सन् 2012 में एक नहीं अनेक घटनाओं से प्रतिदिन झुलसती रही। मसला राष्ट्रमंडल खेलों में हुए घोटाला का हो, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला हो, आदर्श सोसायटी घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, रॉबर्ट बढेरा का घोटाला हो, सलमान खुर्शीद के एनजीओ का घोटाला हो या फिर महंगाई की मार से मर रही जनता का सवाल हो, सड़क-बिजली-पानी का सवाल हो, मसला भारत की सीमावर्ती समस्या हो, जम्मू-कश्मीर के चिंताजनक हालात हों, उत्तर-पूर्व भारत की समस्या हो या फिर किसानों के खाद का मामला हो, मनरेगा घोटाले का मामला हो, देश की शिक्षा और स्वास्थ्य का मसला हो, लोग इसे बिसर नहीं सकते। 45 से 50 फीसदी युवा हाथ होते हुए भी बेकार हैं। समस्याओं के अम्बार पर खड़े भारत के संघीय ढांचे पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये सब भारत की बदहाली की कलई खोलता है। यही कारण है कि लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है। कांग्रेस न आज बिहार में है, न उत्तर प्रदेश में है, न मध्य प्रदेश में है, न छत्तीसगढ़ में है, न गुजरात में है, न तमिलनाडू में है, न कर्नाटक में है, न उड़ीसा में है, न पंजाब में है, अगर महाराष्ट्र में है भी तो राकांपा की दया पर। आंध्र प्रदेश में भी जेल में बंद जगन रेड्डी उसे खुली चुनौती दे रहा है। वैसे तो गोवा और झारखंड में भी कांग्रेस का पत्ता साफ है। छोटे-छोटे राज्यों में दुर्घटनावश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जीतने से आशा की किरण नहीं जगती। दूसरी ओर, क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों को उनसे अनुबंध के लिए मजबूर कर दिया है। मजबूरी के अनुबंध से मजबूत राजनीति नहीं हो सकती।

कांग्रेस देश को विश्वास में लिए बिना एक नहीं अनेक फैसले ले रही है। कैश सब्सिडी योजना से वोट की फसल नहीं काटी जा सकती। पटरी बिछाई नहीं गई और रेल दौड़ाना शुरू कर दिया। दुर्घटना तो होनी ही है। मनरेगा से भी कांग्रेसनीत यूपीए सबक नहीं ले रही। अधोसंरचना बिना योजना कैसे साकार होगी? कैश सब्सिडी की इज्जत भी मनरेगा जैसी लूट ली जाएगी। दलों के सामने देश होना चाहिए वोट नहीं। वोट कभी देश से बड़ा नहीं हो सकता।

गैंगरेप की ज्वाला में धधकता भारत क्या इन सब समस्याओं को भूल जाएगा? हमें नहीं लगता। उलटे गैंगरेप के साथ-साथ देश की जनता उपरोक्त उठाए गए सभी मसलों का जवाब मांगेगी। हमारा गणतंत्र परिपक्व हो चुका है। वह आग और पानी में अंतर समझता है। यह महज मजाक नहीं कि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर निरंतर कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ब्लैकमेलिंग की राजनीति करनेवाले दल चाहे जो करते रहे हैं पर जनतंत्रीय उत्सव आने पर गुजरात की जनता ने अपने प्रिय नायक श्री नरेंद्र मोदी को कुंदन की तरह तपा-तपाकर जनादेश दिया है। श्री नरेंद्र मोदी और निखरकर आए। उनका विरोध करनेवालों को अब समझ लेना चाहिए कि उनमें अब जनता को गुमराह करने की ताकत नहीं बची है। ठीक इसी तरह कांग्रेसनीत यूपीए चाहे जो कर ले, कैश सब्सिडी की आड़ में कैश बांटे या नोट लुटाए पर भारत का गण, गणतंत्र की जय बोलेगा, न कि नोटतंत्र की। ■

सम्पादकीय

अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता...

✍ डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सामूहिक बलात्कार की बर्बरतापूर्ण घटना तथा पीड़िता एवं उसके साथी पर जानलेवा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बर्बरतापूर्ण एवं वहशियाना सामूहिक बलात्कार की घटना जिसके फलस्वरूप पीड़िता ने सिंगापुर के एक अस्पताल में अंतत: दम तोड़ दिया, से हर संवेदनशील नागरिक शोकग्रस्त एवं सदमे में है। जैसे ही मीडिया में इस भयावह वारदात की रिपोर्ट सामने आई तो पूरे देश में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग के लिए खड़े हो गए और साथ ही इस व्यवस्था के प्रति भी अपना आक्रोश प्रकट किया, जो स्वयं को बदलने को तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शनों की आंच सबसे अधिक देश की राजधानी में महसूस की गई, जहां शीत लहर के भयंकर प्रकोप के बावजूद हजारों युवा, छात्र और आम आदमी ने इण्डिया गेट और जंतर-मंतर पहुंचकर अपने आक्रोश और पीड़ा को प्रगट किया। जनता का रोषपूर्ण प्रदर्शन केवल एक दिन तक सीमित न रह कर दिल्ली में कई दिनों तक जारी रहा, जिससे दिल्ली पुलिस और प्रशासन को दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का जबर्दस्त विरोध झेलना पड़ा। जब पुलिस ने देखा कि प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं हैं तो उसने इण्डिया गेट को सील कर दिया और अनेक मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा करनी पड़ी, परन्तु फिर भी ये उपाए प्रदर्शनकारियों के इरादों को रोक नहीं पाए। एक तरफ जब पीड़िता अस्पताल में बहादुरी से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी तब दूसरी तरफ जनता ने जहां कहीं भी उचित लगा वहां प्रदर्शनों से सरकार पर दबाव बनाए रखा और लोगों की आवाज को दबने नहीं दिया।

मीडिया ने सड़कों पर उतर रहे लोगों के आक्रोश और गुस्से की रिपोर्टिंग को जोरदार ढंग से जारी रखने का कार्य किया तो दूसरी तरफ पूरा देश इस विषय पर विचार विमर्श करता रहा। यह सब कुछ बिना किसी योजना या संगठित प्रयास के स्वत: स्फूर्त प्रस्फुटित हुआ और युवा लोगों, छात्रों, महिलाओं, जीवन के हर वर्ग के आम लोगों ने अपनी वेदना प्रगट करने के लिए स्वत: सड़कों पर उतरकर आ गए- यह सचमुच लोगों का वह बेमिसाल आक्रोश था जिसको समझने में शासकों के पसीने छूट जाए। पूरा देश दहशत और सदमे से गुजर रहा था, फिर भी ताज्जुब होता है कि शासकों ने देश के इस आक्रोश और गुस्से पर जरा भी ध्यान न देकर अपनी निर्लज्जता दिखाई। इसकी बजाए कि वह लोगों की संवदेनाओं का सम्मान करती, सरकार का प्रयास यही रहा कि जैसे भी हो इस अभियान को कुचला जाए और बहस को इधर-उधर कर लोगों का ध्यान दूसरी दिशा में ले जाया जाए।

यह आक्रोश क्यों?

यह अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाए कि वर्ष 2012 वह साल रहा है जिसमें लोगों को अपनी बात सामने रखने के लिए जोर-शोर और खुल्लम खुल्ला सड़कों पर आना पड़ा। कैंडल लाइट प्रदर्शनों से लेकर भारी संख्या में लोगों का जनसमूह समय-समय पर इकट्ठा हुआ जिसमें पुलिस बेरीकेड भी काम न आ सके और यहां तक कि वाटर-केनन, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज करना भी बेकार साबित हुआ क्योंकि लोगों का संकल्प था कि वे पीछे नहीं हटेंगे। हर अवसर पर युवा, छात्रों, महिलाओं और आम लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर कर आई और उन्होंने अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वन्देमातरम् के नारे लगाते हुए इण्डिया गेट और जन्तर-मन्तर को पूरी तरह से जाम कर दिया- और ऐसा सब कुछ केवल कुछ घण्टों या एक दिन की बात नहीं रही बल्कि कई दिनों तक यही दृश्यावली चलती रही जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोग धारा 144 का उल्लंघन कर स्वत: सड़कों पर आते रहे तथा स्वतंत्रता आन्दोलन की भांति सरकार के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष करते रहे। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आन्दोलन में दृढ़ संकल्प के साथ शामिल हुए और अपनी बात खुलकर कहने और लम्बे समय से चली आ रही अपनी मांगों को सामने रखने में जरा सा संकोच नहीं किया। यह सचमुच एक अद्भुत दृश्य है जिसमें भारी संख्या में इकट्ठे लोग इतनी दृढ़ता और इच्छाशक्ति से अपना रोष प्रगट करते हैं।

जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आक्रोश से जुड़ी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो दूसरी तरफ सरकार में ऐसे वर्ग के लोग भी मौजूद हैं जो समझते हैं कि यह आक्रोश कुछ समय का ही है और आने वाले कुछ दिनों में इसका असर निश्चित खत्म हो जाएगा। लोगों का व्यवस्था के खिलाफ इस सम्पूर्ण आक्रोश और प्रस्फुटन को नकारना एक

बहुत बड़ी गलती होगी। यदि शासक वर्ग लोगों की सामूहिक इच्छा के प्रति उदासीन रहा तो इस प्रकार के रवैये से देश में और भी जोरदार आन्दोलन भड़क सकता है। लोग बदलाव चाहते हैं, वे पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। अब वे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि पहले ही सत्ता में बैठे लोगों से बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों में पहले ही निराशा का भाव छाया हुआ है और यह बात उनके मन में घर कर रही है कि उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। स्पष्ट है कि न्याय में देरी का मतलब ही है, न्याय न मिल पाना। आज जब लोग जीवन में हर तरफ निराशा ही निराशा देखते हैं तो उन्हें कहीं भी आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती है।

औपनिवेशिक मानसिकता और व्यवस्था

स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य इस लक्ष्य के आधार पर किया गया था कि पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था को सुधारा जाएगा जो राष्ट्र के विकास में रोड़ा बनी हुई है। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए एक व्यवस्था की तस्वीर सामने रखी थी ताकि औपनिवेशिक शासन की बुराइयों को दूर किया जा सके। उन्होंने ऐसे परिवर्तन की वकालत की थी जिससे भारत के लोगों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता का युग का उद्भव हो। राष्ट्रीय आन्दोलन की चाह थी कि ऐसे लोकतंत्र की स्थापना हो, जिस व्यवस्था में आम लोगों की भागीदारी हो, जो उनके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह हो। औपनिवेशक शासन में न केवल लोगों को व्यवस्था में भागीदार से वंचित रखा बल्कि लोगों के अधिकारों को कुचलकर एक ऐसी व्यवस्था कायम की गई जिससे भारत के लोग व्यवस्था से विलग पड़े रहे और भ्रमित रहे।

हमें उम्मीद थी कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा युग आएगा जिसमें औपनिवेशिक व्यवस्था से जुड़े नियमों की समीक्षा की जाएगी और शासन-व्यवस्था, विधि, नियम और विनियमों की समीक्षा कर उनका सुधार किया जाएगा। परन्तु इस दिशा में उठाए गए कदम या तो अनमने ढंग से लिए गये थे अथवा अधूरे मन से उठाए गए। आज, परिणाम सबके सामने हैं- एक तरफ जहां हम ओपनिवेशिक नियम व कानून से जकड़े पड़े हैं वहीं दूसरी ओर शासक वर्ग भी औपनिवेशिक मानसिकता एवं मान्यताओं का अब तक गुलाम बना हुआ है। देश में शासन-पद्धति सर्वोत्तम लोकतांत्रिक पद्धतियों का अनुसरण करने की बजाए आज भी लोगों को नियंत्रण में रखने और उनका मुंह बंद रखने में विश्वास करते हैं। इस समय जहां एक तरफ पारदर्शिता गायब है तो वहीं जबावदेही भी नदारद है। इसकी बजाए कि लोगों को हम भागीदार बनाए, जिससे उनकी भागीदारी बढ़े, यहां हमारे शासक वर्ग के नेता बेमलतब के कानूनों और बहस के पचड़े में पड़कर पूरी व्यवस्था को चौपट कर देते हैं। लोग तो पूरी तरह से व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रगट करते हैं परन्तु यह व्यवस्था है कि ज्यों की त्यों उसी तरह खोखले वायदों पर चल रही है और सत्ताधारी नेताओं की सनक और खामख्याली की पूर्ति करती रहती है।

व्यवस्था में सुधार जरूरी

व्यवस्था के विभिन्न सुधारों पर अनेकों आयोग और समितियां बनाई गई हैं। ये आयोग और समितियां शासन और प्रशासन के हर पहलू पर अपनी सिफारिशें देती हैं। परन्तु, कभी इन सिफारिशों के कार्यान्वयन करने की राजनैतिक इच्छा शक्ति ही नहीं देखी गई। देश सुनता आ रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका, पुलिस और विधानमंडल सहित प्रत्येक क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे, परन्तु क्या इनमें से किसी में भी सुधार हुआ है? देश इन सुधारों पर चर्चा और बहस करता है, परन्तु आयोगों ओर समितियों की सिफारिशें सहज ही ठण्डे बस्ते में डाल दी जाती हैं। सिफारिशों पर चर्चा इतनी लम्बी होती है कि जब तक बदली परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इनके बारे में फैसला लिया जाए तब तक इसी मुद्दे पर नया आयोग या समिति बनाने की जरूरत पड़ जाती है। परिणामत: कोई कार्रवाई नहीं होती और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है जिससे देश के हितों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है।

इस समय, पुलिस मामले पर सुधार पर खास चर्चा हो रही है। पुलिस न केवल औपनिवेशिक नियमों और विनियमों का पालन करती आ रही है, बल्कि इसकी मानसिकता भी औपनिवेशिक बाध्यताओं की जकड़ में बनी रहती है। अधिकांश पीड़ितों में तो इतना भी साहस नहीं है कि वे पुलिस के सामने जाने की हिम्मत भी दिखा सकें, क्योंकि उन्हें पुलिस के आचरण-व्यवहार पर आशंका बनी रहती है। पुलिस अभी तक भी लोगों में आवश्यक विश्वास पैदा नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि पूरा पुलिस तंत्र ही ऐसा है कि जहां पुलिस की संख्या कम है और उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ है। ऐसी स्थिति में प्रभावकारी ढंग से पुलिस-सुरक्षा कैसे संभव हो सकती है। अब भी पुलिस को महिलाओं और मानवाधिकार मुद्दों पर समुचित शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। भारतीय पुलिस आयोग 2002-03 ने पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा कर पाया था कि पूरे देश में पुलिस बल की स्थिति अत्यंत

असंतोषजनक है, यह भी कि हर तरफ दुरुपयोग का बोलबाला है, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार बदनाम होती है तथा आमूलचूल परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है।' परन्तु पुलिस में परिवर्तन लाने के बारे में न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी कार्रवाई अत्यंत धीमी गति से चल रही है। अब यही अवसर है कि सभी मोर्चों पर सुधारात्मक उपाए तुरन्त किए जाएं और सरकार के लगभग हर क्षेत्र में सुधार शुरु किए जाएं ताकि प्रशासन प्रभावकारी, पारदर्शी और जबावदेह बन सके और वह लोकतांत्रिक आचरणों और मूल्यों के तद्नुसार काम कर सके।

महिला संवेदनशीलता-मूल विषय

शर्मनाक गैंगरेप के खिलाफ लोगों ने गहरे आक्रोश के कारण महिलाओं सम्बन्धी विभिन्न विषय राष्ट्रीय एजेण्डा बनकर उभरा है। लोगों ने न केवल इस घटना की निंदा करने के लिए अपनी एकजुटता दिखाई है, बल्कि लोग सरकार की ओर से इस पर कार्रवाई भी चाहते हैं। लोग सुरक्षित राष्ट्र चाहते हैं, जहां कानून प्रभावकारी ढंग से लागू हों और कार्यान्वयनकारी तंत्र सतर्क और कर्तव्यनिष्ठ बना रहे। परन्तु दुर्भाग्य से सुधारात्मक कदम उठाने की बजाए सरकार दोष मढ़ने के खेल में डूबी पड़ी है। हम देख रहे हैं कि सरकार के विभिन्न अंग इस मुद्दे पर रस्साकसी कर रहे हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे तबादला, त्यागपत्र और अन्य दण्डात्मक उपायों जैसे अल्पकालीन उपायों पर कार्रवाई कर इस मुद्दे से लोगों का ध्यान दूसरी दिशा में ले जाया जाए।

कड़े कानून बनाने के अलावा, प्रभावकारी पुलिस-सुरक्षा और सहयोगपूर्ण विधि व्यवस्था आज की सबसे बड़ी जरूरत है जिससे ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जा सके जिससे पूरे समाज की महिला संवेदनशीलता को पटरी पर लाया जा सके। गैंगरेप के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आन्दोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। देश महिलाओं का सम्मान करना चाहता है। लोग चाहते हैं कि महिलाओं के साथ बराबर का व्यवहार हो और उन्हें राष्ट्रीय जीवन में बराबर के अवसर मिलें। प्रयास इस बात का होना चाहिए कि समाज के उन स्तम्भों को मजबूत किया जाए जिससे महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो। इस दिशा में एक संस्था के रूप में परिवार को मजबूत किया जाए और परिवार मूल्यों की भावना पैदा की जाए। चिरकाल से, परिवार भारतीय समाज का आधार है जिसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने, ध्यान रखने और साथ रहने के मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्था के रूप में परिवार हमें बताता है कि मां का सम्मान, जिसे देवी-देवताओं से कहीं ऊपर श्रद्धा दी जाती है। हमारे लिए सबसे पूज्य है। भारत में हमारे यहां रक्षा बन्धन की अनूठी प्रथा है जो बहन और भाई के प्यार को दर्शाता है। यह न केवल भाई-बहन के बीच प्यार और सम्मान का द्योतक है बल्कि यह पारिवारिक मूल्यों का वह महत्वपूर्ण प्रतीक है जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का अहसास कराता है, जिससे समाज में एक-दूसरे के साथ सहयोग करने और ध्यान रखने का वातावरण बनता है और इससे महिलाओं के प्रति संवेदनशील मानसिकता के भाव की उत्पत्ति होती है।

इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि उपभोगवाद एवं वस्तुवादिता के कारण सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। अश्लील फिल्में और गीत बाजार में बिना जांचे परखे बेचे जाते हैं जिससे समाज के एक वर्ग की मानसिकता विकृत होती है। ऐसा आगे जारी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा महिला विषय को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि छात्रों में संवेदनशीलता का भाव मन में पैठ सके। जरूरत इस बात की है कि समाज का हर वर्ग संवेदनशील बने और वह सही ढंग की शिक्षा और पालन पोषण प्राप्त कर सांस्कृतिक मूल्यों को पहचान सके।

निष्कर्ष

इस भयावह गैंगरेप के कारण सार्वजनिक आक्रोश ने कोई एक मुद्दा नहीं, बल्कि अनेक मुद्दे हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। पुलिस से अस्पताल तक, शिक्षा से स्वास्थ्य तक, परिवहन से यातायात तक, सम्पूर्ण डिलीवरी तंत्र, सरकार के विभिन्न अंग, लोगों की मानसिकता- लगभग हर क्षेत्र के कामकाज और प्रभावकारिता- ये सभी के सब कसौटी पर हैं। लोग आंदोलित हो उठे हैं। वे तो इस दिशा में ठोस कदम उठते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि वे खोखले वायदों से उकता चुके हैं। राजनेताओं को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा या फिर व्यवस्था से मोहभंग जारी रहेगा। इन मुद्दों को अस्थायी भर कह कर निपटाना एक भारी गलती होगी क्योंकि ये वे वास्तविक मुद्दे हैं जिन्हें आम लोगों को आए दिन अपने जीवन में झेलना पड़ता है। देश की राजनीति कसौटी पर है और केवल उन्हीं राजनेताओं को लोगों का समर्थन मिल सकेगा जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुसार एजेण्डे पर चल कर उसे पूरा कर पाएंगे। इसके लिए जरूरत है- एक दृढ़ संकल्प और राजनैतिक इच्छा की। आज बातें से भरमाने से काम नहीं चलने वाला, अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।■

गैंगरेप के दोषियों को मिले फांसी की सजा : सुषमा स्वराज

गत 18 दिसम्बर 2012 को लोकसभा में ''दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं'' पर हुई चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज का वक्तव्य

अध्यक्षा जी, दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के नाते यहां की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के नीचे नहीं है बल्कि सीधे केंद्र सरकार के नीचे है। लेकिन बहुत दुख होता है, जब अखबारों में सुर्खियां छपती हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी कर के यह कहा जाता है कि यह शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है। यह टिप्पणी उस समय ज्यादा कष्टदायक हो जाती है, जब यह पता चलता है कि यहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। आए दिन नई-नई वारदातें होती हैं। बजाय कानून व्यवस्था को सुधारने के, महिला मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान आता है कि मेरी सलाह है कि रात को लड़कियां अकेले न निकलें।

अध्यक्षा जी, कल रात जो घटना घटी, वह रात्रि 9.30 बजे की है। महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पुरूष मित्र भी था। इसलिए न तो घटना देर रात की है और न लड़की अकेली थी। 23 वर्ष की फिजियाथैरेपिस्ट महिला द्वारका जाने के लिए 9.30 बजे एक बस में बैठती है। अंदर जो बैठे हैं, उनमें से कोई भी यात्री नहीं हैं। वे एक तरह का नापाक इरादा लेकर बैठे हैं। वे उस महिला के साथ छेड़खानी करते हैं। उसका पुरूष मित्र रिसिस्ट करता है, लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, तो उसके सिर पर रॉड्स मारते हैं, लोहे की छड़ें मारते हैं और उसके बाद उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। गैंगरेप करके उसे बस से नीचे फेंक देते हैं। कल हमारे यहां से कुछ महिलायें, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा वहां देखने के लिए गयीं, डॉक्टर ने उन्हें मिलने नहीं दिया, लेकिन बाहर उसकी दास्तान सुनायी कि लड़की वेंटिलेटर पर है। उसके इंटेस्टाइंस पूरे डैमेज हो चुके हैं। वह बचेगी या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। आज सुबह पीठ से आपने एक इस्तेमाल किया - जघन्य कृत्य। शायद इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द इस घटना के लिए नहीं हो सकता है।

अध्यक्षा जी, यह कोई एक अकेली घटना नहीं है, आए-दिन ये घटनाएं हो रही हैं और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रश्नकाल स्थगित करके इस प्रश्न को उठाना चाहा था, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप शून्य प्रहर में इसे उठाने देंगी और स्वयं जब आपने कहा कि यह जघन्य कृत्य है तो हमें लगा कि ज्यादा शांति से इस मसले को उठाया जाना जरूरी है। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि इस तरह की घटना की शिकार महिला न जिंदा में रही और न मरे में रही। वह एक जीवित लाश बनकर अपना जीवन जियेगी, अगर बच गयी तो, अभी वह जीवन और मौत का संघर्ष झेल रही है, पता नहीं वह बचेगी या नहीं। अगर वह बच गयी तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से गुजारेगी। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए?

मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो सब लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, केवल दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कर रही है? यह सलाह देकर कि लड़कियां रात को अकेले न जाएं, जो महिलायें कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, पेट की भूख उनको रात में वहां ले जाती है क्योंकि कॉल सेंटर्स रात में ही चलते हैं। ये मध्यमवर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं। मैंने कहा कि कल की वारदात तो देर रात की भी नहीं है। वह अकेली भी नहीं है, इससे ज्यादा वह क्या करे? रात के साढ़े 9 बजे वह एक पुरूष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है।

अध्यक्षा जी, आप स्वयं बताइए कि किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए? कोई शब्द इसकी निंदा करने के लिए नहीं बचता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि गृह मंत्री सदन में आएं और इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्रवाई केंद्र की सरकार इस पर कर रही है, इसके बारे में बताएं। यह पूरा सदन इसकी पुरजोर भर्त्सना करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके बारे में गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें आश्वासन दें। मुझे आपसे यही कहना है। ■

महिला आंदोलन की आयातित शब्दावली

मधु किश्वर

किसी भी सामाजिक मर्ज की दवा करने के लिए उस समाज की नब्ज को ढंग से पकड़ना पड़ता है। किसी डॉक्टर की चाहे नीयत जितनी भी अच्छी हो लेकिन मान लीजिए वह किसी पीलिया के मर्ज को निमोनिया मानकर इलाज शुरू कर दे तो जाहिर है, ऐसे मरीज का बेड़ा गर्क ही होगा। या फिर वह ऐसे थर्मामीटर का इस्तेमाल करे जो सौ डिग्री के बुखार को एक सौ पांच कह दे, यह भी ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब बीमारी के मुताबिक इलाज हो। हमारे समाज में औरत को कई रूपों में देखा जाता है। उसके लिए जो भोग की वस्तु की शब्दावली आई है, वह तो इसका एक हिस्सा मात्र है। दूसरी ओर इसमें कोई दो राय नहीं कि इसी समाज में औरत को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। इसी समाज में मां का दर्जा भगवान से ऊंचा माना जाता है। इसी समाज में भाई-बहन के रिश्ते को बड़ी अनोखी मान्यता मिली है। मुझे नहीं पता कि किसी अन्य समाज में रक्षा का बंधन या भाई-बहन के संबंधों को इतनी उत्कृष्ट मान्यता है, जितनी हमारे समाज में मिली। यह भी हो सकता है, वही भाई अपनी बहन को पिता की संपत्ति में हक न लेने दे लेकिन इसमें दोनों सही हैं। कहने का आशय यह कि समाज में केवल औरत भोग की वस्तु है, अगर ऐसा होता तो आज सारे घर टूट चुके होते और सारी औरतें सरे बाजार बैठी होती।

जरूरत है, अच्छाइयों की बातें भी करने की

समस्या यह है कि हमारे यहां जो नारी आंदोलन की शब्दावली है वह बहुत ही 'इम्पोर्टेड' भाषा में बात करती है। जो समाज में अच्छाइयां हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी उन्हें। सिर्फ बुराइयों की चर्चा होती है। ऐसे लोगों के लिए मुझे यही कहना है कि मेरी मां कहा करती थी कि कितना भी साफ-सुथरा कमरा हो पर जिस कोने में थोड़ी-सी भी गंध होगी मक्खी वहीं जाकर बैठती है। तो हमें सभी चीजों को साथ देखते हुए चलना होगा क्योंकि समाज की कमजोरियां दूर करने के लिए यह जरूरी है। एक बात यह भी समझनी होगी कि हमारे खिलाफ बाहरी शासकों (अंग्रेजों) ने सामाजिक-सांस्कृतिक जंग छेड़ा था कि हिन्दुस्तानी हर चीज में निकृष्ट हैं, वह गलीज व असभ्य कौम है। एक बाहरी शासक का शासितों के प्रति ऐसा रवैया होता ही है। उसका मकसद शासित समाज के स्वाभिमान को कुचलना है। कुचले स्वाभिमान वाले समाज में स्वयं सुधार की मौजूद अंदरूनी शक्ति खत्म होने लगती है। वह खुद से नफरत करने लगता है। ऐसे समाज वाली कौमें हमेशा तबाही के रास्ते पर चल पड़ती हैं। यह रवैया गलत है। अगर आपको समाज को सुधारना है तो उस जमीन पर खड़े होइए जो मजबूत है। दलदल में खड़े होकर आप सुधार नहीं कर सकते। हमारे समाज में बहुत-सी स्वस्थ ताकतें हैं। किसी बीमार आदमी को केवल एंटीबायोटिक दवा ही देंगे, उसे पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो वह मर जाएगा क्योंकि एंटीबायोटिक उसके शरीर में मौजूद अंदर की खुद से लड़ने की ताकत खत्म कर देगा। तो हम वही कर रहे हैं कि हर वक्त अपने मुंह पर खुद थूक कर, अपने मुंह पर वही कालिख पोत कर। जो अंग्रेज हमारे मुंह पर पोतते रहे हैं और आज भी पश्चिमी देश पोतना चाहते हैं। अब हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने चेहरे पर इंपोर्टेड कालिख न पोतें। वही लांछन लगे जिसके हम हकदार हैं।

हमारे समाज में औरत को कई रूपों में देखा जाता है। उसके लिए जो भोग की वस्तु की शब्दावली आई है, वह तो इसका एक हिस्सा मात्र है। दूसरी ओर इसमें कोई दो राय नहीं कि इसी समाज में औरत को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। इसी समाज में मां का दर्जा भगवान से ऊंचा माना जाता है। इसी समाज में भाई-बहन के रिश्ते को बड़ी अनोखी मान्यता मिली है। मुझे नहीं पता कि किसी अन्य समाज में रक्षा का बंधन या भाई-बहन के संबंधों को इतनी उत्कृष्ट मान्यता है, जितनी हमारे समाज में मिली।

मां का दर्जा और भाई-बहन का प्रेम: अनोखी बातें

हमारे समाज में बहुत-सी अनोखी

बातें हैं। उनको सामने लाइए। देखिए कि इसमें दो बातें तो बहुत ही अद्भुत हैं। एक तो मां का दर्जा। दूसरा स्त्री को शक्तिस्वरूपा मानना। सभी देवताओं से देवियों का स्थान ऊंचा है। रामकृष्ण से कोई डरे न डरे लेकिन दुर्गा, काली से डरता है। देवी मां का रौद्र रूप, क्रोध झेलने की ताकत किसी में नहीं, देवताओं में भी नहीं। उनके क्रोध से पृथ्वी हिल जाती है। तो यह रूप हर औरत में है और यह समाज उसे पहचानता है। कोई भी औरत मजबूत होकर खड़ी होती है तो उसे यह समाज सिर आंखों पर उठा लेता है। यह हमारे समाज की एक बड़ी विशिष्टता है। नारी को भोग की वस्तु समझने का चलन भी है। यहां पोर्नोग्राफी आई है। ऐसी बहुत-सी घटिया बीमारियां हमने विदेशों से ली हैं। पश्चिमी देशों से पोर्नोग्राफी का कल्चर आया है। बहरहाल, कुछ विकृतियां घरेलू हैं तो कुछ पश्चिम की गुलामी का असर है। लेकिन इसी के साथ अपनी अंदरूनी मजबूतियां भी हैं जो हमारी विशिष्टता हैं। उनको पहचान लेंगे तो विकृतियों से लड़ पाएंगे। हर वक्त लानत देना कि भारत गंदा है, यहां औरतें सिर्फ पीटती हैं और उनका केवल शोषण होता है, ये सही नहीं हैं।

परम्परा का मतलब जाहिलपन ही नहीं है

कितने मुल्कों में आपने ऐसा आंदोलन देखा होगा कि नारी अस्मिता के लिए 70 फीसद से अधिक लड़के स्वेच्छा से शामिल हुए? ऐसा क्यों? कोई उन्हें बुलावा नहीं भेजा था। वे अपना ऋण चुकाने आगे आए। नारी को वस्तु मानने की जो विकृति है, उसका भी यदि हमें इलाज ढूंढना है तो अपने समाज की अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। समस्या यह है कि समाज के जो जोकर बन गए हैं उनको औरत

आज परिवार जैसी संस्था को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। परिवार है तो औरत की इज्जत है। परिवार टूटेंगे तो औरत वाकई सड़क पर खड़ी नजर आएगी। पश्चिमी देशों में केवल समानता की बात होती है लेकिन हमारे परिवार में औरत को विशिष्ट दर्जा देने की बात होती है। हमारे समाज में पुरुष से कहीं ऊंचा दर्जा महिलाओं का है। बेटी का पैदा होना भी लक्ष्मी का आगमन माना जाता रहा है।

की आजादी केवल पश्चिमी शब्दावली और पहनावे के साथ चाहिए। हमारे मुल्क में अच्छी-बुरी सभी परंपराओं को नकारने की प्रक्रिया चल पड़ी है। सारे जोकर यह स्थापित कर रहे हैं कि परंपरा का मतलब जाहिलपन है। यह खतरनाक है। इस मामले में मैं गांधी जी के उस वाक्य को चिराग की तरह मानती हूं कि 'परंपराओं के सागर में तैरना बहुत अच्छा व स्वास्थ्यपरक है परंतु उसमें डूब जाना जानलेवा है।'

परिवार टूटा तो सरे बाजार नजर आएंगी महिलाएं

ऐसा तो है नहीं कि हम-आप सभी वहशी जानवर बन गए हैं। क्या आप बन गये हैं? अगर नहीं तो आपको क्यों लगता है कि बाकी सभी बन गए हैं? आखिर समाज हमसे-आपसे ही मिलकर बनता है। किसी को भी उतनी ही मात्रा में गाली देनी चाहिए जितनी कि वह खुद के ऊपर लागू होती है। आज परिवार जैसी संस्था को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। परिवार है तो औरत की इज्जत है। परिवार टूटेंगे तो औरत वाकई सड़क पर खड़ी नजर आएगी। पश्चिमी देशों में केवल समानता की बात होती है लेकिन हमारे परिवार में औरत को विशिष्ट दर्जा देने की बात होती है। हमारे समाज में पुरुष से कहीं ऊंचा दर्जा महिलाओं का है। बेटी का पैदा होना भी लक्ष्मी का आगमन माना जाता रहा है। हालांकि भ्रूण हत्याओं का चलन होने से भी इनकार नहीं है। स्त्रियों को मारना-पीटना भी एक स्थिति का पक्ष है लेकिन बेटियों का पूजन भी तो होता है। दोनों ही तथ्य सही हैं लेकिन हमें एक सच को नकारना नहीं चाहिए कि सिर्फ भ्रूण हत्या सही है, बाकी नहीं। यहां सम्मान के संस्कार भी हैं। हां, अगर वे दबे हैं तो उन्हें उभारना है। किन हालातों से वे दबे हैं, यह देखना है।

भोग-संस्कृति भी पश्चिम की दी हुई, जैसा मन वैसी दिखेगी स्त्री

भोग संस्कृति ज्यादातर भौंड़ी अंग्रेजीयत ने ही जितना माना है, उतना किसी ने नहीं। अपनी विकृतियों को झेलने और सुधारने की क्षमता सभी देश स्वयं रखते हैं पर जब अपनी विकृतियां नकलची बंदर की हैं तो आपको समझ नहीं आता कि इसको कैसे हटाएं। हमारा समाज भी आज नकलची बंदर बन गया है। इसलिए सुधारना मुश्किल हो रहा है। अजंता की गुफा या देश के किसी मंदिर में जाकर कोई छेड़खानी नहीं करता जहां चित्रों में औरतों के तन पर भीनी वेश-भूषा है। हमारे यहां कई ऐसे मंदिर हैं, जहां स्त्री-पुरुष के रिश्ते और उनके शारीरिक सेक्स को भी पवित्र मान कर स्थान दिया गया। वहां जाकर तो कोई यौन हिंसा नहीं करता। किंतु किसी-किसी कंपनी के कैलेन्डर केवल यौन शोषण के लिए ही हैं। क्या फर्क

है? शरीर तो दोनों औरत के दिख रहे हैं? इसका मतलब है कि हम जिस दृष्टि से औरत को देखते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। महत्त्वपूर्ण है कि हम उसको देवी, शक्ति, पूजनीय, ईरीय करिश्मा या प्रजनन स्रोत मानते हैं अथवा भोग की वस्तु? सवाल है कि कैलेन्डर कहां की उपज है? नकलची संस्कृति की ही तो उपज है।

कानून का इस्तेमाल आटे में नमक की तरह

आजकल हर समस्या के समाधान के लिए नया कानून पास करने की वकालत होती है। समाज को सुधारने के लिए कानून का इस्तेमाल वैसे ही होना चाहिए जैसे आटे में नमक। अगर इसका अनुपात उलटा कर दें तो खाने लायक न नमक न आटा। कानून पास करने से पहले यह सोचना होगा कि कानून का पालन करने वाली एजेंसियों का हश्र इस समाज में क्या है? आपकी पुलिस का अपराधीकरण ऐसा है कि थानों में क्राइम अधिक और बाहर कम है। देश का कोई कानून नहीं है, जिसका इस्तेमाल पुलिस धन उगाही के लिए न कर रही हो। अपराधियों को संरक्षण देना पुलिस का मुख्य काम हो गया है। थाने अपराधियों की मैनुफैक्चरिंग की फैक्ट्री बन गए हैं। इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि पुलिस थानों से जो गांव जितने दूर-दराज हैं, वहां कोई अपराध नहीं है। जहां लोगों ने पुलिस की शक्ल भी नहीं देखी है, वहां घर में ताले नहीं लगाने पड़ते। वहां जघन्य अपराध नहीं होते या नगण्य होते हैं। जिस शहर में जितनी पुलिस है और उसके करीब जितने गांव-बस्तियां हैं, उनमें उतना ही अपराध है। जहां भी अपराध बढ़ाना हो वहां पुलिस थाना बना दीजिए तुरंत फैक्ट्री चालू हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले पुलिस को सुधारें उसके बाद ही कानून सुधारिए। हमारी अदालतों का भी हाल यही है। वहां ज्यादातर वकील लोगों को नोच लेते हैं। अपराधी और जज का सीधा ताल्लुक होना चाहिए। न्याय के साथ जब तक वकीलों की दलाली और मोहताजी जुड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार को डेढ़ सौ साल बनाई गई अदालती प्रक्रियाओं को बदलने की गरज नहीं है। अदालतों में जन भाषा का कोई स्थान नहीं है। अंग्रेजों के स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने तक की हिम्मत सरकार में नहीं है। जब आपको आजाद हिन्दुस्तान में प्रशासन चलाने की तहजीब ही नहीं आई तो फिर कानून पर कानून बनाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में यह सोचना होगा कि हर मर्ज की दवा कानून पास करना नहीं है। पहले कानून के रखवालों को उस लायक बनाना होगा। हमारी पुलिस और न्यायिक संस्थाएं दोनों ही जनतंत्र की अपेक्षाओं के लायक नहीं हैं। उसमें भारी सुधार की दरकार है। उसके बाद ही कोई कानूनी बदलाव पर सोचना चाहिए।■

(सुश्री किश्वर से मुकेश मिश्र ने की बातचीत, राष्ट्रीय सहारा से साभार)

'भाजपा सरकार में आई तो गंगा पर अलग मंत्रालय'

भारतीय जनता पार्टी ने गंगा के अविरल प्रवाह और निर्मलता के लिए सतत प्रयास जारी रखने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए घोषणा की कि अगर अगले आम चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में आयी तो इसके वास्ते एक पृथक मंत्रालय गठित किया जाएगा। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 7 जनवरी को नई दिल्ली में सुश्री उमा भारती के नेतृत्व में चल रहे गंगा समग्र अभियान के प्रथम चरण के समापन अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किये।

श्री आडवाणी ने माना कि गंगा के अविरल प्रवाह और निर्मलता का काम राजनीति से परे है और देश के तकरीबन हर राजनीतिक दल की इसमें सहमति है। उन्होंने स्वीकार किया कि गंगा के शुद्धिकरण का कार्य सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू किया था तथा उनके नाना पण्डित जवाहरलाल नेहरू की गंगा में गहरी आस्था थी। इससे पहले श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा सुश्री भारती के समग्र गंगा अभियान को पीछे से समर्थन जारी रखेगी और इसे सत्ता की राजनीति से दूर रखेगी। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि यदि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तो गंगा के अविरल प्रवाह और निर्मलता के लिए एक अलग विभाग गठित करके आरंभिक तौर पर दस हजार करोड़ का आवंटन तुरंत किया जाएगा। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार गंगा को सर्वोच्च प्राथमिक कार्य मानकर इस अभियान को सहयोग देगी। ■

महिलाओं को सुरक्षा व बलात्कारियों को सज़ा तो देनी ही होगी

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

निर्भया के साथ घृणित बलात्कार तथा उससे की गई बुज़दिल हिंसा के फलस्वरूप उसकी मृत्यु ने राष्ट्र की आत्मा को झकझोड़ कर रख दिया है। भारत का सिर शर्म से झुक गया है।

इस घृणित अपराध के उपरान्त स्वत: ही सारे देश में गुस्से की एक ज्वाला भड़क उठी है। चारों ओर प्रदर्शन हो रहे हैं और एक स्वर से अपराधियों को एक आदर्श सज़ा की मांग की जा रही है ताकि सब को सबक मिले और भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने का दु:साहस न कर सके।

खुशी की बात यह है कि इस आन्दोलन का कोई नेता नहीं है। इसके पीछे कोई एक सामाजिक या राजनैतिक संस्था नहीं है। इसके पीछे आत्मपीड़ा व आत्मग्लानि से उद्वेलित सारा जनमानस है। और सब से अच्छी बात यह है कि इस पीड़ा का किसी संस्था या राजनीति दल ने राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास भी नहीं किया है।

पर यह भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस घृणित अपराध के विरुद्ध आवाज़ उठाने में सब से आगे थी। लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने तो पहले ही दिन से इस अमानवीय अपराध को दुर्लभतम से दुर्लभ जुर्म मान कर मृत्यु दण्ड दिया जाये। निर्भया बहादुर लड़की थी और उसने अन्तिम शब्द यही कहे कि वह जीना चाहती है। वह अपराधी को दुर्लभ सज़ा दिलाना चाहती थी।

बाकी राजनीतिक दलों ने भी एक स्वर से इस अपराध की घोर निन्दा की और सज़ा की मांग की। इसके बावजूद सत्ताधारी कांग्रेस के कान पर अभी भी जूं नहीं रेंग रही है। जनता के गुस्से को शान्त करने के लिये प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया ने इतनी मेहरबानी तो अवश्य की कि सिंगापुर से लाये जा रहे निर्भया के शव की अगुआई के लिये वह प्रात: दो-अढ़ाई बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गये थे। पर ऐसे ड्रामों से न तो मृतिका की आत्मा को ही शान्ति मिलेगी और न उसके परिवार को और न इस अमानवीय अपराध से दु:खी जनता को ही। परिवार तो उसका अन्तिम संस्कार अपने गांव में ही करना चाहता था पर सरकार ने दबाव डाल कर कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली में ही करवा दिया। सरकार को डर था कि यदि समय मिल गया तो अपार जनता उमड़ पड़ेगी और उसे काबू में रखना मुश्किल हो सकता था।

भाजपा शुरू से ही मांग कर रही है कि सरकार इस जघन्य अपराध की रोकथाम के लिये कुछ ठोस कदम उठाये और कड़े से कड़ा कानून बनाये। सरकार भी इस के लिये कोरे आश्वासन ही देती जा रही है और अभी तक उसने कोई कारगर कदम नहीं उठाया है।

भाजपा मांग करती आ रही है कि सरकार इस अमानुषतापूर्ण अपराध की गम्भीरता को समझते हुये ऐसे वीभत्स अपराधों से निपटने के लिये संसद का एक विशेष सत्र बुला कर एक कठोर कानून बनाये जिसके लिये आज के वातावरण में संसद में भी और जनता में भी व्यापक आम सहमति बन सकती है। पर अब भी सरकार इस विषय पर ढिलमुल नीति अपनाये जा रही है। विशेष सत्र बुलाये जाने की मांग को गृह मन्त्री श्री सुशील कुमार शिन्दे पहले ही खारिज कर चुके हैं। सरकार कह रही है कि संसद के आगामी बजट सत्र में कोई ऐसा विधेयक लाया जायेगा जिस में बलात्कार के अपराध पर कड़ी सज़ा का प्रावधान होगा।

पर सरकार के रवैय्ये से ऐसा कुछ

बाकी राजनीतिक दलों ने भी एक स्वर से इस अपराध की घोर निन्दा की और सज़ा की मांग की। इसके बावजूद सत्ताधारी कांग्रेस के कान पर अभी भी जूं नहीं रेंग रही है। जनता के गुस्से को शान्त करने के लिये प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया ने इतनी मेहरबानी तो अवश्य की कि सिंगापुर से लाये जा रहे निर्भया के शव की अगुआई के लिये वह प्रात: दो-अढ़ाई बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गये थे। पर ऐसे ड्रामों से न तो मृतिका की आत्मा को ही शान्ति मिलेगी और न उसके परिवार को और न इस अमानवीय अपराध से दु:खी जनता को ही।

नहीं लगता। वह तो इस प्रतीक्षा में लगती है कि कैसे जनता का रोष व विरोध शान्त हो और वह फिर चैन की नींद सो जाये। इसीलिये उसने एक कमेटी गठित कर दी है। प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस प्रमुखों की बैठक कर ली है पर उस में भी कुछ ठोस आम सहमति नहीं बन पाई है।

अफसोस की बात तो यह है कि हमारे बुद्धिजीवी इस घृणित अपराध पर शोर तो बहुत मचा रहे हैं पर इस पर सज़ा फांसी की हो या उम्रकैद इस पर गतिरोध जारी है। कुछ भी है कम से कम अपनी ही बेटी, बहन व चचेरी या ममेरी बहन के साथ बलात्कार के नीच कुकर्म पर तो मौत से कम कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिये क्योंकि यह तो नीचों में नीच दुर्लभतम अपराध है जिसकी तो चर्चा करने में भी हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है।

यह भी पता नहीं चल रहा कि कांग्रेस के युवराज ऐसे समय में कहां हैं। उनके इस गम्भीर विषय पर क्या विचार हैं और वह इस वह सरकार को क्या दिशानिर्देश देंगे, यह पता नहीं चल रहा।

सरकार का यह रवैय्या कोई नया नहीं है। जब भी कोई ऐसी गम्भीर घटना होती है या कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो उस पर तुरन्त कोई कार्यवाही करने व उसका समाधान निकालने की बजाये वक्त टालने के लिये वह कोई कमेटी या आयोग बिठा देती है। जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक काफी समय हो गया होता है। जनता का रोष भी ठण्डा पड़ जाता है। रिपोर्टों पर सरकारी कार्यालयों में धूल जमती रहती है और सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं देता। लगता है यही कुछ सरकार इस बार भी करने की मन्शा रखती है।

यह बखेड़ा पहली बार खड़ा नहीं हुआ। न ही यह राष्ट्र की राजधानी में पहला बलात्कार ही है। जब भी कोई ऐसी शर्मनाक घटना होती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं तो सरकार यही कहती है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। बलात्कार की घटनायें नहीं होनी दी जायेंगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जायेगी। पर होता कुछ नहीं है। यही कहानी बार-बार दोहराई जाती है।

सन्तोष की बात तो यही है कि सरकार कह रही है कि निर्भया के मुकद्दमे पर सुनवाई दिन-प्रतिदिन होगी और इस पर अदालत का निर्णय 30 दिन के अन्दर आ जायेगा। यह तो एक सराहनीय कदम है। पर बाकी के हज़ारों मामलों पर क्यों सरकार अभी भी सोई रहना चाहती है? आखिर बाकी सारी महिलायें भी तो उतनी ही पीड़ित हैं। उनके साथ भेदभाव क्यों? सरकार को तो हर मामले पर एक जैसी नज़र डालनी चाहिये और सब को समान न्याय मिलना चाहिये।

यही कारण है कि आज दिल्ली को बलात्कार की राजधानी के नाम से जाना जाने लगा है। पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सरकार दिल्ली व देश में बढ़ते ब्लात्कार व अपराधों से सचमुच चिन्तित होती तो वह आज तक सचमुच ही कुछ कर बैठती और न तो निर्भया की अपनी इज्ज़त ही लुटती और न उसकी जान ही जाती। मीडिया में छपे आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर 2012 तक दिल्ली की विभिन्न अदालतों में 963 बलात्कार के मुकद्दमे चल रहे। जुलाई 2012 तक इनकी संख्या 889 थी। इसके अतिरिक्त 16,959 अन्य और मामले दिल्ली के 6 सैशन जजों की अदालतों में विचाराधीन पड़े हैं। यही नहीं देश में बलात्कार के 2600 से अधिक मामले अदालतों में लंबित बताये जाते हैं और कई तो दो दशकों से भी अधिक पुराने हैं। तो इनके निपटारे के लिये उचित पग सरकार न उठाने हैं या किसी और ने?

अब तो सरकार को समझ आ जानी चाहिये। उसे सतर्क हो जाना चाहिये। जनता के धैर्य का बांध अब टूटने के कगार पर है। दिल्ली में पारा जमाव बिन्दु के पास होने के बावजूद जनता के रोष को ठण्डा करने में असफल रहा है। अपार भीड़ को रोकने के लिये मेट्रो ट्रेनों व बसों को बन्द कराकर कांग्रेसनीत सरकार ने आपात्काल की याद ताज़ा कर दी पर जनता अभी भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने व बलात्कारियों को आदर्श सज़ा दिलाने पर अडिग है। सरकार को तो अब हरकत में आना ही होगा अपितु जनता के रोष का लावा किसी को नहीं बख्शेगा। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

अब तो सरकार को समझ आ जानी चाहिये। उसे सतर्क हो जाना चाहिये। जनता के धैर्य का बांध अब टूटने के कगार पर है। दिल्ली में पारा जमाव बिन्दु के पास होने के बावजूद जनता के रोष को ठण्डा करने में असफल रहा है। अपार भीड़ को रोकने के लिये मेट्रो ट्रेनों व बसों को बन्द कराकर कांग्रेसनीत सरकार ने आपात्काल की याद ताज़ा कर दी पर जनता अभी भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने व बलात्कारियों को आदर्श सज़ा दिलाने पर अडिग है। सरकार को तो अब हरकत में आना ही होगा अपितु जनता के रोष का लावा किसी को नहीं बख्शेगा।

छेड़छाड़ की घटना के विरोध में भाजपा अध्यक्ष ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

गत 18 दिसम्बर 2012 को मणिपुरी अभिनेत्री के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के सम्बन्ध में विरोध दर्ज करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को 24 दिसम्बर 2012 को पत्र लिखकर मामले की संवदेनशीलता को देखते हुए भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की।

प्रिय डॉ. सिंह

मैं आपको यह पत्र आपका इस ओर ध्यान दिलाने के लिए लिख रहा हूं जिसमें 18 दिसम्बर 2012 को चन्देल में धन इकट्ठा करने के समय लोगों के सामने प्रमुख मणिपरी अभिनेत्री सुश्री मोमोको और श्री प्रकाश एवं श्री गुना के साथ अत्यंत अपमानजनक छेड़छाड़ की घटना और हत्या के प्रयास की घटना घटी। इस घटना पर मणिपुर में भारी रोष उत्पन्न हो गया है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं और दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 18 दिसम्बर 2012 को मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स की उपस्थिति में घटी, जिन्होंने मात्र मूक दर्शक बने रहना बेहतर समझा। स्थानीय लोगों ने इन अभिनेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया। इन दोषियों को दण्डित करने की बजाए राज्य सरकार के हजारों निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। जबकि वे न्याय की मांग कर रहे थे। एक पत्रकार सहित दो लोगों को इम्फाल में पुलिस की इस फायरिंग में मार गिराया गया और 15 से अधिक लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा, 20 से अधिक गाड़ियां जला दी गईं। आज भी यह आन्दोलन जारी है जिसमें हिंसा की अनेक वारदातें हो रही हैं जिससे पता चलता है कि राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में विफल हो चुकी है।

मणिपुर फिल्म फोरम सिविल सोसायटी ने 22 दिसम्बर 2012 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है। जनता और मीडिया एनएससीएन-आई एम की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है और साथ ही शांति के लिए भारत की पहल करने वाले ले. कर्नल कीविंग स्टोन की भूमिका पर आशंका जता रही है। दोषियों को सजा दिलाने में देरी के कारण स्थिति और भी कहीं अधिक गम्भीर हो जाएगी, जिससे संदेह का वातावरण ही बनेगा।

भारतीय जनता पार्टी का यह दृढ़ विश्वास है कि राज्य सरकार को कड़ी और तुरंत कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है ताकि लोगों में कानून के शासन और न्याय प्रदान करने की व्यवस्था में विश्वास बहाल हो सके। इस मामले की संवेदनशीलता और इसमें निहित मुद्दों की भावनात्मक प्रकृति को देखते हुए हम भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं कि वह राज्य सरकार की स्थिति को अनियंत्रित होने से बचाने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दे। यहां मैं आपको इतना बता दूं कि अविलम्ब कार्रवाई करने से ही मणिपुर में हमारे भाइयों का सरकारी तंत्र में विश्वास बहाल हो सकेगा। यह कहना आवश्यक नहीं कि इन कार्यों को, परम राष्ट्रीय हित में, तत्काल उठाना अत्यंत आवश्यक है।

सादर!

भवदीय

नितिन गडकरी

डॉ. मनमोहन सिंह
भारत के प्रधानमंत्री
नई दिल्ली

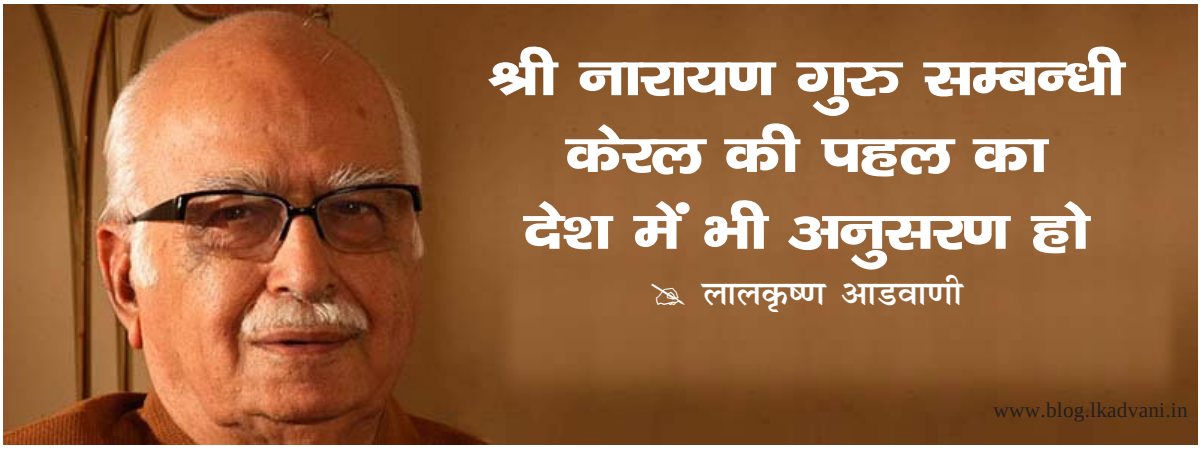

श्री नारायण गुरु सम्बन्धी केरल की पहल का देश में भी अनुसरण हो

लालकृष्ण आडवाणी

नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि दिसम्बर, 2012 के अंतिम दिन मैं केरल में था और एक महान योगी तथा सिद्ध श्री नारायण गुरु-अस्पृश्यता और जातिवाद के विरुद्ध जिनके अथक संघर्ष की महात्मा गांधी ने भी प्रशंसा की-की पुण्य स्मृति से जुड़े तीर्थस्थल शिवगिरी जाने का सौभाग्य मिला।

श्री नारायण गुरु का जन्म ऐसे समय पर हुआ जब अस्पृश्यता का अपने घृणित रुप में चलन था। ऐसी भी गलत धारणा प्रचलित थी कि कुछ लोगों की छाया भी अन्यों को अपवित्र कर देती थी। एक समान आराध्य और धर्म को मानने वाले लाखों श्रद्धालुओं में से कुछ को मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

मुझे स्मरण आता है कि तिरुअनंतपुरम से लगभग 45 किलोमीटर दूर वरकला स्थित शिवगिरी मठ में मुझे 1987 में आमंत्रित किया गया था। सन् 1932 से प्रत्येक वर्ष होने वाले तीन दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था। खराब मौसम के चलते तिरुअनंतपुरम जाने वाली विमान सेवा रद्द हो गई थी और मैं नहीं पहुंच सका। शिवगिरी, वरकला पहाड़ियों में स्थित है जहां गुरु (नारायण) के अनुयायी लाखों की संख्या में उनकी समाधि, और उनके द्वारा स्थापित शारदा (सरस्वती) मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं।

शिवगिरी में सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने से पूर्व श्री नारायण गुरु ने अरुविप्पुरम में शिव मंदिर स्थापित किया। अत: अब 1987 में मैं वहां नहीं पहुंच सका तो किसी तरह अगले वर्ष मैं अरुविप्पुरम की यात्रा कर सका। इसलिए इस वर्ष अपने उद्घाटन भाषण की शुरुआत मैंने पीताम्बर वस्त्र धारण किए विशाल संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं से इस क्षमा याचना के साथ की कि मैं इस पवित्र स्थल पर 25 वर्ष बाद पहुंचा हूं।

इस तीन दिवसीय आयोजन की श्री नारायण गुरु ने योजना बनाई थी और 1928 में उनकी मृत्यु से पूर्व इसे घोषित किया गया। यह प्रत्येक वर्ष 30,31 दिसम्बर और 1 जनवरी को आयोजित किया जाता है। 30 दिसम्बर को इस आयोजन की औपचारिक शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई। दूसरे दिन के तीर्थदनम सम्मेलन, के इस वर्ष का उद्घाटन मुझे करने को कहा गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वायलर रवि ने की। अंतिम दिन अनेक प्रमुख विद्वानों ने श्री नारायण गुरु द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता (Code of Ethics) के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

अपने भाषण में मैंने एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चाण्डी द्वारा की गई घोषणा कि 2013 से श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को केरल राज्य में स्कूली पाठयक्रम में जोड़ा जाएगा, का स्वागत किया।

वस्तुत: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय विद्यालयों में इतिहास की पढ़ाई अधिकांशतया राजाओं, उनके वंश, उनके युद्धों और शोषण पर ही केंद्रित रहती है। हमारे विद्वानों, साधु-संतो के अविस्मरणीय योगदान से सामान्यतया बच्चों को अक्सर इस आधार पर वंचित रखा जाता है कि एक सेकुलर देश में धर्म वर्जित कर्म है। यह एक बेहूदा दृष्टिकोण है। अत: शिवगिरी में अपने भाषण में मैंने केंद्रीय मंत्री वायलर रवि से अनुरोध किया कि केरल द्वारा की गई पहल को केंद्रीय और अन्य राज्यों में भी अपनाया जाए। यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द जैसे संतों की शिक्षाओं को पाठयक्रमों

का सामान्य हिस्सा बना दिया जाए तो स्कूली पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा।

प्रवासी भारतीय मंत्री श्री रवि ने कहा कि वे इस विषय को प्रधानमंत्री के ध्यान में लाएंगे।

उस दिन के अपने सम्बोधन में मैंने स्मरण किया कि स्कूल में पढ़ते समय हमें पता चला कि किसी विद्यार्थी की प्रतिभा के स्तर का आधार इस से आंका जाता था कि उसका 'बौद्धिक स्तर' (इन्टेलिजेन्स क्वोशेन्ट) कितना उपर या नीचे है। बाद में संयोग से एक पुस्तक 'इ क्यू' यानी 'भावात्मक स्तर' (इमोशनल क्वोशेन्ट) पढ़ने पर मुझे लगा कि किसी के निजी व्यक्तित्व को परखने के लिए 'बौद्धिक स्तर' (इन्टेलिजेंस क्वोशेन्ट) महत्वपूर्ण होगा परन्तु उसका इ क्यू यानी 'भावात्मक स्तर' पर भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 'भावात्मक स्तर' से तात्पर्य यह है कि कैसे एक व्यक्ति क्रोध, द्वेष इत्यादि जैसे भावों को ग्रहण करता है। उस दिन मैंने कहा कि जो केरल ने किया है और जो मैंने देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को करने के लिए अनुरोध किया, कुछ ऐसा है जो हमारे सभी देशवासियों का 'आध्यात्मिक स्तर' (स्पिरिचुअल क्वोशेन्ट) भी बढ़ाएगा। एस क्यू (स्पिरिचुअल क्वोशेन्ट) धारणा गढ़ते समय मेरे मन में किसी धर्म या पंथ का विचार नहीं था, मैं तो सिर्फ उन नीतिपरक और नैतिक मूल्यों के बारे में सोच रहा था जो एक विद्यार्थी अपने संस्थान से ग्रहण कर सकता है।

सन् 1902 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व स्वामी विवेकानन्द जी ने टिप्पणी की थी कि देश को एक ऐसी मनुष्य निर्माण मशीन की जरूरत है जो एम पूंजी के साथ मनुष्यों का निर्माण कर सके। उनके दिमाग में ऐसे मनुष्य रहे होंगे जो आइ क्यू, इ क्यू और एस क्यू सम्पन्न हों यानी वे मनुष्य जो अपवाद रूप उच्च चरित्र और असाधारण योग्यता तथा प्रतिभा सम्पन्न हो।

यदि हमारे शैक्षणिक संस्थान स्वामी विवेकानन्द द्वारा विचारित मनुष्य निर्माण मशीनरी को अमल में लाने में सफलता प्राप्त करते हैं तो यह देश के लिए

अनुकरणीय सेवा होगी।

***

शिवगिरी की यात्रा की पूर्व संध्या पर, तिरुअनंतपुरम में ही, वर्षों से मेरे पार्टी सहयोगी और श्री वाजपेयी की सरकार में मेरे मंत्रिमण्डलीय सहयोगी श्री ओ. राजागोपालजी के सार्वजनिक जीवन में पचास वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केरल यूनिवर्सिटी के खचाखच भरे सीनेट सभागार में सभी वक्ताओं ने केरल के हमारे नेता की योग्यता, प्रामाणिकता और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रुप में केरल के कल्याण के लिए दिए गए योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की। लेकिन मैं महत्वपूर्ण समझता हूं उस दिन राजगोपालजी का अभिनन्दन करने आने वाले नेताओं की उपस्थिति को। मंच पर समूचे राजनीतिक और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, मैंने सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से दलगत दायरों से ऊपर एकजुट होकर तथा ईमानदारीपूर्वक भारत को दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए काम करने का अनुरोध किया। विपक्ष के नेता वी.एस. अच्युतानन्दन ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि यद्यपि राजनीति में वह और श्री राजगोपाल एक-दूसरे के विरोधी ध्रुव पर हैं, परन्तु तब भी वे गहरे मित्र हैं। हालांकि, माकपा और भाजपा ने आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष की छोटी अवधि में मिलकर काम किया, और इस अवधि के दौरान वह तथा श्री राजगोपाल कारावास में एक साथ बंदी थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधी स्मारक निधि के चेयरमैन पी. गोपीनाथन नायर ने की। उनके अलावा सम्बोधित करने वालों में थे स्वास्थ्य मंत्री वी. एस. शिवकुमार, भाकपा के राज्य सचिव पानियन रविन्द्रन, कवि ओ.एन.वी. कुरूप, महापौर के. चंद्रिका, भाजपा के वरिष्ठतम सहयोगी परमेश्वरन, राज्य भाजपा के अध्यक्ष वी. मुरलीधरन, केरल कांग्रेस के नेता वी. सुरेन्द्रन पिल्लई, साइरो-मलानकरा कैथोलिक चर्च ऑक्सिलॅरी बिशप सैम्युल मार इरेनियस, स्वामी तत्वारूपानंदा और एन आई एम एस मेडीसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर एम.एस. फैजल खान-भी थे। ■

गुजरात में लोकायुक्त मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय : कुछ सवाल

✍ अरुण जेटली

गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले में दो मुद्दों को उठाया गया है, इनमें से एक लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में है। इसके अनुसार और अन्य संवैधानिक अधिकारियों की भूमिका निरर्थक हो जाती है, और दूसरा लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल की भूमिका के बारे में है। भारत की विधायिका के एक सदस्य के रूप में मैं एक निर्वाचित सरकार के कार्यपालक अधिकारों में अनाधिकार प्रवेश के विरोधस्वरुप अपनी यह टिप्पणी पेश करता हूं।

अनेक राज्यों ने 1986 में लोकायुक्त संबंधी कानून बनाए। राज्यों के कानून केन्द्र द्वारा प्रचालित मसौदे पर आधारित थे। लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्थाओं की भाषा अधिकांश राज्यों में समान है।

गुजरात अधिनियम की धारा 3 (1) इस प्रकार है :

''इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करने के उद्देश्य से, राज्यपाल अपने वारंट और अपने हस्ताक्षरों और मुहर से किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो लोकायुक्त के नाम से जाना जाएगा।

बशर्ते लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ सलाह करके की जाए, सिवाय तब, जब ऐसी नियु्क्ति उस समय की जाए, जब गुजरात राज्य की विधानसभा भंग कर

उच्चतम न्यायालय का फैसला अधिकारों की पृथकता को असंतुलित करता है। कार्यपालक कार्य जिसमें मुख्य न्यायाधीश सलाह प्रक्रिया में एक भागीदार है, वह एक ऐसी प्रक्रिया में तब्दील हो गया है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त नामजद करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया है। सलाह-मशविरे में मुख्यमंत्री की प्रमुख भूमिका समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश का पत्र मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का स्थान ले लेता है। यही तर्क विपक्ष के नेता के साथ सलाह-मशविरे की प्रक्रिया पर भी लागू होता है।

दी गई हो, या गुजरात राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा लागू हो, विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ सलाह-मशविरे के बाद या अगर ऐसा कोई नेता नहीं है, अध्यक्ष के आदेश के अनुसार सदन में विपक्ष के सदस्यों द्वारा उसकी ओर से निर्वाचित किया गया कोई व्यक्ति हो।''

अधिनियम की भाषा स्पष्ट है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जब भाषा स्पष्ट है, तो कठोर व्याख्या का नियम लागू होना चाहिए। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल की भूमिका सक्रिय नहीं है इसलिए राज्यपाल की ओर से सलाह-मशविरे का कार्य मुख्यमंत्री के जरिये मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाना चाहिए। यह कार्य मुख्यमंत्री का है कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ सलाह करे।

इस प्रक्रिया में चार संवैधानिक अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री को मुख्य न्यायाधीश से सलाह करनी चाहिए। उसे विपक्ष के नेता से सलाह करनी चाहिए। इसके बाद उसे अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजनी चाहिए जिसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। राज्यपाल की भूमिका नाममात्र की है। मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री के साथ सलाह-मशविरे में भागीदार हैं।

यह व्यवस्था उस संवैधानिक तंत्र का हिस्सा है जिसमें राज्यपाल, विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश सलाह मशविरा प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सलाह-मशविरे की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की प्रमुख भूमिका है। उन्हें सलाह-मशविरा करना है। राज्यपाल चौथी एजेंसी हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बाद मंजूरी देनी है। शक्तियों की पृथकता का संवैधानिक आदेश मूल रुप से राज्य के विभिन्न अंगों के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखने का हिस्सा है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश के साथ सलाह-मशविरे को दी गई अधिनियम की व्याख्या का अर्थ यह है कि मुख्य न्यायाधीश की राय

सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

उच्चतम न्यायालय का फैसला न केवल मुख्य न्यायाधीश की राय को सबसे अधिक महत्व देता है बल्कि, उनकी राय को अनन्य मानता है और इस प्रकार मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिका को पूरी तरह अनावश्यक और निरर्थक बना देता है। उच्चतम न्यायालय का कहना है, ''मुख्य न्यायाधीश की राय को सबसे अधिक महत्व देने का का कारण यह है कि उनकी स्वतंत्र हैसियत है और लोकायुक्त पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश ही नियुक्ति के योग्य हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश लोकायुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हैं. .... इस विषय में मुख्य न्यायाधीश की राय सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की सिफारिश को स्वीकार न करना ''निरर्थक'' हो जाता है। अत: यह स्पष्ट हो जाता है कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार आचरण किया है। यह विचार इस बात को ध्यान में रखकर व्यक्त किया गया है कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 सलाह-मशविरे की प्रक्रिया में एकमतता पर गौर नहीं करती। भारत की विधायिका और राजनीतिक प्रक्रिया के अंग के रुप में मैं बड़ी गंभीरता के साथ उच्चतम न्यायालय के आदेश (कथन से) गंभीरता के साथ असहमत हूं। विधायिका द्वारा बनाए गये अधिनियम में मुख्य न्यायाधीश की राय को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया है। यह तथ्य कि मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र संवैधानिक अधिकारी हैं, का अर्थ यह नहीं है कि मुख्यमंत्री और ''विपक्ष के नेता'' की संवैधानिक और कानूनी भूमिका नहीं है। विशेष रूप से

राज्यपाल ने अपनी मर्जी से आचरण करने का फैसला किया। लोकायुक्त पद पर किसी की नियुक्ति करने के बारे में मंत्रिपरिषद ने कोई सहायता या सलाह नहीं दी थी। मंत्रिपरिषद की असहमति को राज्यपाल को दी गई सहायता और सलाह मान लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला इस विरोधाभास पर आधारित है। अब गुजरात में ऐसा लोकायुक्त होगा जिसकी नियुक्ति की मंत्रिपरिषद ने कभी सलाह नहीं दी। शॉर्ट कट से न तो अच्छा शासन हो सकता है और न अच्छी नजीर बन सकती है।

जबकि जिस अधिकार का इस्तेमाल किया जाना है वह न्यायपालिका का नहीं कार्यपालिका का दायित्व है। यह परिकल्पना नहीं है कि केवल मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत न्यायाधीशों के कामकाज के बारे में सर्वोत्तम निर्णयकर्ता है। इसके विपरीत, भारत में न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और केवल न्यायाधीशों द्वारा ही न्यायाधीशों का निर्णय करने की व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही है। इस कार्य में अन्य संवैधानिक अधिकारी भी योगदान कर सकते हैं। उनकी भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को सलाह मशविरा देने के स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण और अनन्य बना दिया है। इस प्रकार अन्य संवैधानिक अधिकारियों की भूमिका को निष्प्रवाही कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय का फैसला यहीं पर नहीं रुकता। मुख्य न्यायाधीश का राज्यपाल के लिए सीधा पत्र लिखना जिसके साथ मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह नहीं है उसे अब मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह माना जा रहा है क्योंकि सलाह प्रक्रिया में मतैक्य जरूरी नहीं माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की भूमिका इतनी निरर्थक कर दी गई है कि उसकी असहमति को राज्यपाल के पास सहायता और सलाह मान लिया गया है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का एकमात्र और अपरिहार्य परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय लागू हो जाती है। अन्य संवैधानिक अधिकारियों जैसे कि मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता की राय प्रासंगिक नहीं है। वे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में राय देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। केवल न्यायाधीश ही न्यायाधीशों के बारे में राय दे सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय का फैसला अधिकारों की पृथकता को असंतुलित करता है। कार्यपालक कार्य जिसमें मुख्य न्यायाधीश सलाह प्रक्रिया में एक भागीदार है, वह एक ऐसी प्रक्रिया में तब्दील हो गया है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त नामजद करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया है। सलाह-मशविरे में मुख्यमंत्री की प्रमुख भूमिका समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश का पत्र मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का स्थान ले लेता है। यही तर्क विपक्ष के नेता के साथ सलाह-मशविरे की प्रक्रिया पर भी लागू होता है।

इस निर्णय का लोकपाल के गठन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। राज्य सभा की प्रवर समिति ने खंड 4 में सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ की अधिकार प्राप्त समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

अगर उच्चतम न्यायालय का वर्तमान तर्क सही है, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और विधि विशेषज्ञ अधिकार प्राप्त समिति में मूकदर्शक बनकर रह जाएंगे क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय प्रमुख और अनन्य हो जाएगी। स्पष्ट है कि कानून बनाने वालों की मंशा यह नहीं है।

संसद को इस व्यवस्था पर फिर से विचार करना चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति के बारे में व्यापक आधार वाला तंत्र नहीं हो सकता। न्यायिक व्याख्या के जरिये न्यायालय अन्य संवैधानिक अधिकारियों की भूमिका को समाप्त कर देंगे और स्वयं अनन्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। मैं न्यायिक संस्थानों को कमजोर नहीं करना चाहता हूं, इसी प्रकार मैं इस बात के लिए भी तैयार नहीं हूं कि विधायिका या प्रशासकीय मामलों में निर्वाचित सरकार की भूमिका पर अन्य अधिकार कर लें। न्यायपालिका की भूमिका कानून की व्याख्या करना और मामलों का निपटारा करना है। प्रशासनिक नियुक्ति के मामलों में वे अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते और विधायिका या कार्यपालिका की भूमिका को समाप्त नहीं कर सकते।

राज्यपाल

वास्तव में गुजरात की राज्यपाल ने असंवैधानिक ढंग का आचरण किया है। वह निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पना चाहती थीं। राज्यपाल के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का प्रासंगिक कथन इस प्रकार है :-

''राज्यपाल की अपने पत्र 3.3.2010 में प्रकट की गई यह राय कि वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधी नहीं हैं और उन्हें लोकायुक्त को नियुक्त करने का अनन्य अधिकार है, निश्चित रूप से संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है कि यह उनको दी गई गलत सलाह का नतीजा है और उनके द्वारा दी गई राय कानून के शासन के अनुरूप नहीं है। राज्यपाल की राय अनाधिकृत है और तर्कों के आधार पर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता .....ऐसा लगता है कि राज्यपाल को अनुचित सलाह दी गई और इसके परिणामस्वरुप उन्होंने यह धारणा बना ली कि राज्य का प्रमुख होने के नाते नहीं, बल्कि 1986 के अधिनियम के अंतर्गत उन्हें इस मामले में कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा एटॉर्नी जनरल की राय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर आधारित है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री को इस संबंध में प्रत्येक घटना की जानकारी थी।''

राज्यपाल ने अपनी मर्जी से आचरण करने का फैसला किया। लोकायुक्त पद पर किसी की नियुक्ति करने के बारे में मंत्रिपरिषद ने कोई सहायता या सलाह नहीं दी थी। मंत्रिपरिषद की असहमति को राज्यपाल को दी गई सहायता और सलाह मान लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला इस विरोधाभास पर आधारित है। अब गुजरात में ऐसा लोकायुक्त होगा जिसकी नियुक्ति की मंत्रिपरिषद ने कभी सलाह नहीं दी। शॉर्ट कट से न तो अच्छा शासन हो सकता है और न अच्छी नजीर बन सकती है।

(लेखक वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

गुजरात

नरेंद्र मोदी ने चौथी बार किया मुख्यमंत्री पद को सुशोभित

लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराकर गत 26 दिसम्बर को श्री नरेंद्र मोदी खचाखच भरे सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे तो वह नजारा सच में अनूठा था। शपथ लेने से पूर्व पूरी विनम्रता से उन्होंने विभिन्न धर्म के संत, महात्मा, मौलवी व ईसाई धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लिया और अपनी मां हीराबा के चरण स्पर्श किए। हाथों में तिरंगा, भाजपा व केसरिया ध्वज लिए लोग सुबह से स्टेडियम में जमा होने लगे थे। हजारों समर्थकों के बीच मोदी जब मंच पर पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की खुशी का पारावार ना रहा। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती में ही शपथ ली। उनके 7 कैबिनेट मंत्रियों व 9 राज्यमंत्रियों ने भी गुजराती भाषा में ही शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह समेत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी, भाजपा प्रवक्ता श्री शाहनवाज हुसैन, श्री राजीव प्रताप रुडी, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय सचिव श्री नवजोत सिंह सिद्धू व अन्य वरिष्ठ नेतागण शामिल थे। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और राजग समेत तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, इनेलो के अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

समस्याओं का है अम्बार

✍ प्रभात झा

प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस पर सारा देश नारा लगाता है- 'गणतंत्र अमर रहे' पर उसकी अमरता कैसे बनी रहे, इस पर 63 वर्ष बाद भी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना देना चाहिए। पहले गणतंत्र दिवस पर जो सवाल उपजे थे, वे सभी सवाल आज विकराल रूप लिए हुए न केवल मौजूद हैं बल्कि चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं संभाला गया तो कहीं हम भारत से अलग न हो जाएं। भारतीय गणतंत्र के 6 दशक बीत जाने के बावजूद न तो हम बाह्य रूप से रक्षित हैं और न ही आंतरिक रूप से सुरक्षित। जब देश की राजधानी को ही- ''रेप कैपिटल'' के रूप में जाना जा रहा हो तो दूरदराज क्षेत्रों में लोग कितने सुरक्षित होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हम मजबूती का नारा लगा रहे हैं और गणतंत्र अंदर से हिलने लगा है। हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हैं पर कमजोर गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हमारी गिनती होती है। हर बार हारने के बाद भी पाकिस्तान और बंगलादेश हमारे लिए सिरदर्द हैं और चीन से तो हम जवाबतलब भी नहीं कर पाते। उल्टे कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सीमाओं पर उसके अतिक्रमण को हम मौन रूप से स्वीकार ही कर रहे हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार 25 करोड़ युवाओं में से 32 प्रतिशत युवाओं ने कहा है कि यद्यपि भारत की विकास दर में वृद्धि हुई है लेकिन उनका जीवन सुखमय नहीं हुआ है। भारत में ही आय विषमता का दौर तेजी से बढ़ रहा है जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। भारत में रहने वाले 1 अरब 25 करोड़ लोगों के लिए यह गंभीर संकट का दौर है।

एनएसएसओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ 30 लाख लोगों के पास रोजगार नहीं है। अर्थव्यवस्था मंद है। देश के विकास की दर दिनोंदिन कम होती जा रही है। सारी दुनिया कह रही है कि यह सदी एशिया की सदी होगी। लेकिन क्या हम ऐसी प्रगति से एशिया में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। कहीं न कहीं हम सभी आशंकित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी 'सेव द चिल्ड्रेन' ने कहा है कि भोजन की कमी के कारण भारत में बच्चों की आधी आबादी का पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। ये तिरसठसाला कैसा गणतंत्र है? इस सर्वेक्षण में शामिल 24 प्रतिशत लोगों के अनुसार उनके यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अक्सर भूखे रहना पड़ता था। 29 प्रतिशत लोगों ने उनके बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलने की शिकायत की है। 27 प्रतिशत लोग हर

भारतीय गणतंत्र के 6 दशक बीत जाने के बावजूद न तो हम बाह्य रूप से रक्षित हैं और न ही आंतरिक रूप से सुरक्षित। जब देश की राजधानी को ही- ''रेप कैपिटल'' के रूप में जाना जा रहा हो तो दूरदराज क्षेत्रों में लोग कितने सुरक्षित होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हम मजबूती का नारा लगा रहे हैं और गणतंत्र अंदर से हिलने लगा है। हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हैं पर कमजोर गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हमारी गिनती होती है।

हफ्ते अपने बच्चों के लिए मांस, दूध और सब्जी नहीं खरीद सकते। 66 प्रतिशत लोगों ने माना कि पिछले पूरे साल खाने की बढ़ती कीमतों से वे चिंतित रहे हैं। 29 प्रतिशत लोगों ने परिवार के लिए खरीदे जाने वाले राशन में कटौती करनी शुरू दी है। 17 प्रतिशत लोगों ने परिवार के लिए खाना जुटाने के लिए अपने बच्चों को स्कूल छुडवाकर उन्हें काम पर लगा दिया है। तिरसठसाला गणतंत्र में आने वाली पीढ़ी की बदहाली की यह ताजा रपट है। हम कैसे भारत का निर्माण करेंगे? आने वाला भारत मजबूत होगा या मजबूर होगा? भारत के नौनिहालों की स्थिति अगर यही रही तो हम एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना कैसे कर पायेंगे? इस स्थिति से उबरने के लिए ठोस और कारगर कदम की महती आवश्यकता है।

हमारे लिए दुखद प्रसंग यह है कि केन्द्र सरकार स्वयं ही भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद भी काले धन जमा करने वालों के नाम छुपा रही है, तो इस देश का कैसे कल्याण हो सकता है? हम कैसे शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं?

आजादी के बाद केन्द्र में चार - साढ़े चार दशक से भी ज्यादा समय तक कांग्रेस का राज रहा और अब भी कांग्रेस-नीत यूपीए के नाम पर वही शासन में है। राज्यों की सरकारों में भी वर्षों तक कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। आम आदमी के साथ चलने का वादा करने वाली कांग्रेस आम आदमी को ही पीसती रही। इंदिराजी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा बीसवीं सदी के आठवें दशक में ही दिया था और इसी लुभावने नारे के चलते कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुयी। पर चार दशक बीत गए। फिर भी गरीबी, भुखमरी का विकटतम जाल भारत में पसरा ही हुआ है और पसर ही रहा है। विश्व के 231 राष्ट्रों और द्वीपों में से हम अभी भी कमजोर राष्ट्र के तौर पर 153वें नम्बर पर आते हैं। न हमारी नीयत साफ है और न ही नियति हमारे साथ है। हम एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भारत परचम लहरा रहा है। पर भारत विश्व का गरीब देश कहलाने की श्रेणी में है। यह कैसी विडम्बना है? हम भारतीय विदेशों की सरजमीं पर अच्छे चिकित्सक और अच्छे अभियंता के रूप में जाने जाते हैं पर भारत में अभी भी लाखों चिकित्सक और अभियंता डिग्री लिए हुए नौकरी की तलाश में नेताओं और अधिकारियों के दरवाजे पर भटकते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रगति नहीं की है पर तराजू के एक पलड़े पर प्रगति की बाट रखे और दूसरी तरफ अवनति की तो देखने में आता है आज भी अवनति का पलड़ा भारी है। नैतिकता का पाठ विश्व को पढ़ाने वाला भारत, रामायण और गीता के संदेश को विश्व में देने वाला भारत, कृष्ण के पांचजन्य से गुंजायमान होने वाला भारत, राम की मर्यादा से सुशोभित होने वाला भारत, सीता की अग्निपरीक्षा से गुजरने वाला भारत, लवकुश की साहस पर गर्व करने वाला भारत, भगवान हनुमान की सेवा-सुरक्षा पर नाज करने वाला भारत, शबरी के बेर की मिठास से भगवान राम को प्रसन्न करने वाला भारत, पांच पांडवों की एकजुटता से कौरव वंश का नाश करने में समर्थ रहने वाला भारत विश्व में अमरदीप की तरह अमर ज्योति बिखेरता रहा पर आज वही भारत अपने घर की समस्याओं से जूझ रहा है। जाति, धर्म, पंथ, भेद, लिंग, भेष-भूषा आदि विषयों को लेकर इस पर अनेकता में एकता के दर्शन नहीं कर पा रहे। हमारी अखंडता और अक्षुण्णता पर प्रश्नचिन्ह लगे हुए हैं अत: हमारे लिए यह अवसर सोचने समझने के साथ साथ करने का भी है।

सन् 2012 के अतीत पर हम नजर डालें तो लगता है कांग्रेसनीत यूपीए ने सत्ता नहीं चलाई बल्कि भारतीय लोकतंत्र को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, कोयला घोटाला सहित एक नहीं अनेक घोटाले उजागर हुए और हम भारतवासियों पर नित्य नये घोटालों की कालिख पुत रही है। देश में घोटालों का ऐसा सिलसिला चला कि हम 176 देशों में 94वें स्थान पर भ्रष्ट देशों की सूची में आ गये। अमेरिका की अनुसंधान एवं सलाहकार संस्था के अनुसार 2001-2010 के बीच 123 अरब डॉलर काला धन विदेश भेजा गया है। इसमें भारत 8वें स्थान पर है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते एक दशक के दौरान भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के निर्माण पर इससे कम खर्च हुआ है। भ्रष्ट व्यवस्था का आलम यह है भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल 2012 में ही अवैध वित्तीय लेन-देन के चलते करीब 1.6 अरब डॉलर (85 अरब रुपये) का नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले कुछ महीने पहले भारतीय वाणिज्य उद्योग परिषद (फिक्की) ने कहा था कि उसके आंकड़ों के मुताबिक 45 लाख करोड़ का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है जो कि भारत के सकल

घरेलू उत्पाद का करीब करीब 50 प्रतिशत का हिस्सा है और भारत के वित्तीय घाटा का नौ गुना है।

हमारे लिए दुखद प्रसंग यह है कि केन्द्र सरकार स्वयं ही भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद भी काले धन जमा करने वालों के नाम छुपा रही है, तो इस देश का कैसे कल्याण हो सकता है? हम कैसे शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? पूरे भारत पर जब नजर दौड़ाते हैं तो पूर्वोत्तर की दशा पर सहसा रोना आता है। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए आचार्य बिनोवा भावे ने कहा था, ''अंग्रेजों ने जो स्वतंत्रता दी वह उनके पॉकेट में ही रही,'' लगता है आचार्य ने जो बात कही थी वह गणतंत्र बनने के 6 दशक बाद भी पूर्णतया सही लगती है। सही मायनों में पूर्वोत्तर आज भी देश ही मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया।

सच तो यह है कि अलगाववादी ताकतों ने असम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम व सिक्किम में विकास की हवा पहुंचने नहीं दे रही है। पहाड़ी राज्यों में ट्रेन रूट व सड़कों का अभाव विकास को भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। समूचे पूर्वोत्तर के बाशिंदे सड़क परिवहन पर ही निर्भर हैं। पूर्वोत्तर न सिर्फ अलगावादी समस्या से ग्रस्त है बल्कि इन राज्यों में सीमा विवाद भी उफान पर है।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता अभी भी अधूरी है। असम में हिंदी भाषाओं पर हमले होते रहते हैं। बंगलादेश से घुसपैठ निरंतर जारी है। असम के कई सीमावर्ती जिलों में भयावह जनसांख्यिकी परिवर्तन आ चुका है और वहां भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। जम्मू-कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद अपना तांडव दिखा रहा है वहीं पूर्वोत्तर में चरमपंथी देश की एकता व अखंडता को तोड़ने में लगे हैं। उधर, चीन भी अरुणाचल पर अपनी गिद्धदृष्टि लगाये हुए हैं। अरुणाचलवासियों और जम्मू-कश्मीर के लोगों को नत्थीवीजा दे रहा है। चीन अपनी इच्छानुसार सीमा पर अतिक्रमण करता है और भारत सरकार भयग्रस्त होकर चुप्पी साधे रहती है।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता अभी भी अधूरी है। असम में हिंदी भाषाओं पर हमले होते रहते हैं। बंगलादेश से घुसपैठ निरंतर जारी है। असम के कई सीमावर्ती जिलों में भयावह जनसांख्यिकी परिवर्तन आ चुका है और वहां भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। जम्मू-कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद अपना तांडव दिखा रहा है वहीं पूर्वोत्तर में चरमपंथी देश की एकता व अखंडता को तोड़ने में लगे हैं। उधर, चीन भी अरुणाचल पर अपनी गिद्धदृष्टि लगाये हुए हैं। अरुणाचलवासियों और जम्मू-कश्मीर के लोगों को नत्थीवीजा दे रहा है। चीन अपनी इच्छानुसार सीमा पर अतिक्रमण करता है और भारत सरकार भयग्रस्त होकर चुप्पी साधे रहती है।

ऐसे में कुछ यक्ष प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं कि क्या हम उन सपनों को पाने में समर्थ रहे हैं जिन्हें महान स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखा था? क्या हम गणतंत्र का वास्तविक स्वरूप पाने में सफल रहे हैं? क्या हम भुखमरी-गरीबी जैसी विकट समस्या से निजात पाने में सफल रहे हैं? क्या हमने भ्रष्टाचार की विषवेल को काटने या उसे कम करने में सफलता प्राप्त की है? क्या लोगों को वास्तविक आजादी मिली या हम भयमुक्त समाज बनाने में सफल रहे हैं। क्या हम बल, सर्वभौम व शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में समर्थ रहे। अगर यह सब करने में असफल रहे हैं तो हमें चौसठवेंसाला गणतंत्र पर यह शपथ लेना होगा कि राष्ट्रवाद के इस यज्ञ में हमें सभी वादों की आहुति देनी होगी और अपने-अपने दलगत विचारों को एक तरफ रखते हुए इस यज्ञ में एक साथ कूदना होगा। राजनीति को राष्ट्रनीति बनानी होगी। तभी जाकर हर भारतवासी का सपना पूरा होगा। ■

(लेखक राज्यसभा सांसद हैं एवं मध्य प्रदेश भाजपाध्यक्ष रहे हैं)

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता

✍ विकाश आनन्द

इस वर्ष देश भर में स्वामी विवेकानन्द का सार्धशती समारोह मनाया जा रहा है। 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानन्द ने विश्व पटल पर भारतीय अध्यात्म का परचम लहराया था। जब ईसाई मिशनरियां सैन्य ताकत और भौतिक हथकण्डों से भारत में अपने धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी समय स्वामी विवेकानन्द ने भारत के अध्यात्मवाद की पताका पाश्चात्य जगत में लहरायी। उस समय जो अंग्रेज अपने सैन्य बल और धूर्तता से भारत पर राज कर रहे थे उन्हीं के देशों में जाकर स्वामी विवेकानन्द ने अपने ज्ञान और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आगे सबको झुका दिया।

साथ ही स्वामीजी ने भारतवासियों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति और हिंदू धर्म की महत्ता का एहसास भी कराया। इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द भारतीय राष्ट्रवाद के एक प्रखर प्रवक्ता भी थे। विवेकानन्द जब विश्व धर्म संसद (1893) के समय पाश्चात्य देशों के भ्रमण पर निकले थे तब वहां अपने भाषणों में धर्म व अध्यात्म के अलावा अपने देश का जिक्र किया करते थे। एक अंग्रेज महिला मैरी फंक ने लिखा कि जिस तरह से स्वामीजी 'मेरा देश' शब्द बोलते हैं वह हृदय को छूने वाला होता है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि वह एक संत होते हुए भी राष्ट्र के प्रति कितने चिंतित थे। उनकी राष्ट्रभक्ति आदर्श है और समस्त राष्ट्र के लिए अनुकरणीय।

स्वामीजी एक ऐसा महाशक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते

थे जो विश्व को वेदांत का संदेश दे सके। वह मानते थे कि भारतीयों को अपने इतिहास, संस्कृति और धर्म पर गर्व होना चाहिए और उन्हें समय की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। भारत की भावना को जागृत करना युवाओं का लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि युवा विरासत और परिवर्तन का वाहक होता है, इसलिए स्वामी विवेकानन्द ने युवाओं से आह्वान किया, ''उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रूको।''

स्वामीजी का मानना था कि अंग्रेजों का शासन और उनकी शोषणकारी आर्थिक नीतियों की वजह से ही भारतीयों ने विश्वास खो दिया और प्राकृतिक संसाधनों को विकसित नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप हमारी उत्पादकता कम हुई और हमें अकाल, दुर्भिक्ष जैसी भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसलिए राष्ट्र का पुनर्जीवन तभी संभव होगा जब लोग निडर होंगे और अपने अधिकार मांगेंगे।

विवेकानन्द जाति व्यवस्था के विरोधी थे। वे मानते थे जाति व्यवस्था ने भी राष्ट्रवाद को कमजोर किया है। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न वर्गों में बांट दिया है जहां निम्न जाति के लोग हीन भावना से ग्रसित रहते हैं तो ऊंची जाति के लोग श्रेष्ठ भावना से उद्वेलित रहते हैं।

आज जिस तरह कुछ स्वयंभू विद्वान धर्म से राष्ट्र और राष्ट्रवाद को अलग रखना चाहते हैं और छद्म धर्मनिरपेक्षता के पोषक हैं, इसके ठीक विपरीत स्वामी विवेकानन्द का मानना है कि भारतीयों के लिए धर्म एकता में बांधने वाली शक्ति है क्योंकि आध्यात्मिकता भारत का प्राण है। इसमें सभी मतभेद विलीन हो जाते हैं। भारतीय सर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आस्था को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द यह भी स्वीकार करते थे कि भारत में अनेक जातियां, भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां मौजूद हैं, परन्तु भारतीय लोगों के बीच एकसमान आधार मौजूद हैं। एकसमान धार्मिक परम्परा मौजूद है जिसके आधार पर राष्ट्रीय भावना तैयार की जा सकती है। यूरोप में राष्ट्रीय एकता का आधार राजनीतिक विचार थे परन्तु एशिया में इसका आधार धर्म था। यह आवश्यक नहीं है कि कोई विशेष धर्म ही राष्ट्रीय अखंडता विकसित करने में हमारी सहायता करे बल्कि सभी धर्म यह कार्य कर सकते हैं।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो पूरे भारत को आज एकता के सूत्र में पिरोता है, निश्चित रूप से स्वामी विवेकानन्द ने इसके प्रखर प्रवक्ता के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। ■

हार की अस्वीकारोक्ति

✍ ए. सूर्यप्रकाश

जीत और हाल का चक्र लोकतांत्रिक कर्म का हिस्सा है और भारतीय मतदाता ने कुछ राज्यों में इस चक्र को साल दर साल निर्दयतापूर्वक तोड़ा है। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन कांग्रेस जैसे कुछ राजनीतिक दल यह सबक लेने से इन्कार कर रहे हैं। यही कारण है कि 15 दिन पहले जब गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो इस दल के नेताओं ने निर्लज्ज होकर ऐसा व्यवहार किया जो लोकतांत्रिक शिष्टाचार नहीं था। अपने विरोधियों का अभिवादन करने वाले हिमाचल प्रदेश के हारे हुए मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल के विपरीत कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने राज्य में तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का शिष्टाचार नहीं निभाया। इसके बजाय उनमें से बहुतेरों ने मोदी की जीत को कमतर दिखाने और नकारने के लिए खोखले तर्क गढ़े।

चुनाव के नतीजों के दिन सबसे बड़ा मजाक वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान था। उन्होंने कुछ प्रसन्न मुद्रा में घोषणा की कि इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, हमारी दो सीटें बढ़ी हैं और भाजपा पिछली बार का 117 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। गुजरात में स्पष्ट जीत हमारी ही हुई है। भाजपा को मिली 115 और कांग्रेस की 61 सीटें दिखाती हैं कि भाजपा ने बढ़-चढ़कर दावे किए थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ और समीकरण लगाए। चिदंबरम ने दावा किया कि जब भाजपा ने राज्य जीता तो यहां की जनता के बड़े हिस्से ने खुद को राज्य से बेदखल महसूस किया। कांग्रेस तर्क देती है कि जब भाजपा सत्ता में रही तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया गया। 20 दिसंबर को वित्त मंत्री ने दावा किया कि और भी बहुत से समुदायों ने अलग-थलग महसूस किया। सौराष्ट्र और जनजातीय समुदाय को लगा जैसे वे पीछे छूट गए हैं। उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला? धरती पर ऐसा कौन सा दल है जो गुजरात जैसे राज्य में सौराष्ट्र, जनजातीय और अल्पसंख्यकों को निकाल देने के बाद 182 सदस्यीय विधानसभा में 115 सीटें जीत सकता है? कांग्रेस का यह तर्क इन तथ्यों के सामने खोखला साबित हो जाता है कि अकेले सौराष्ट्र में 54 सीटें आती हैं। 26 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 30 सीटें ऐसी हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय के 20 प्रतिशत से ज्यादा वोट हैं।

कांग्रेस कुछ चतुर चुनावी इंजीनियरिंग कर मोदी को कड़ा मुकाबला दे सकती थी, लेकिन पार्टी इतनी बुरी तरह हतोत्साहित थी कि इसने एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कंधों पर बंदूक रखकर चलना ही बेहतर समझा। यहां तक कि इसके तथाकथित राष्ट्रीय नेताओं राहुल और सोनिया गांधी भी राज्य में प्रचार अभियान के दौरान सिर्फ फौरी उपस्थिति ही दर्ज की। इस पर भी गांधियों ने अपने दुर्ग में ही अभियान चलाया। ऐसा करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि पार्टी ने उन सभी क्षेत्रों में जीत दर्ज की, जहां-जहां राहुल गए थे। एक केंद्रीय मंत्री की यह बात सुनकर किसी ने पूछा, तब फिर कांग्रेस ने उन्हें पूरे गुजरात में क्यों नहीं भेजा?

चिदंबरम अकेले नहीं हैं। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो भ्रम में हैं और जीत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कपिल सिब्बल को ही लीजिए। उन्होंने सबसे ज्यादा दुखी होकर कहा कि मोदी 3डी प्रचार अभियान चलाकर भी सिर्फ 2डी जीत ही दर्ज कर पाए। इस तरह की टिप्पणियां गुजरात में जीत और हार पर कांग्रेस पार्टी की संकीर्ण समझ का ही परिचय देती हैं। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा 117 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकी इसलिए यह उसकी हार है, यद्यपि गुजरात विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए किसी भी दल को 92 सीटों की ही जरूरत है। पिछले सदन में उसके पास 59 सीटें थीं और इसमें जरा सी बढ़त को भी कांग्रेस अपनी जीत मान रही है। बहुत से केंद्रीय मंत्रियों का ऐसा ही विश्लेषण 2014 में नमो को अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देख कांग्रेस की बढ़ती घबराहट को ही

शेष पृष्ठ 27 पर

आप सो गये दास्ताँ कहते-कहते

✍ डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री श्रीकान्त जोशी जी का आठ जनवरी को प्रात:काल पाँच बजे 76 साल की आयु में मुम्बई में निधन हो गया। श्रीकान्त शंकर जोशी जी का जन्म 21 दिसम्बर, 1936 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के देवरुख गाँव में हुआ था। आप के पिता का नाम शंकर जोशी था। शंकर

स्व. श्रीकांत जोशी

जी के चार बेटे और एक पुत्री थी। इन पाँच संतानों में से श्रीकान्त जी सबसे बड़े थे। प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के बाद आप उच्च शिक्षा के लिये मुम्बई में आ गये। आपने राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय लेकर मुम्बई विश्वविद्यालय से बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुम्बई के गिरगांव में ही आप संघ के स्वयंसेवक बने। बीए में पढ़ते समय ही आप ने जीवन बीमा निगम में कार्य करना शुरु किया। उन दिनों शिवराज तेलंग जी मुम्बई में ही संघ के प्रचारक थे। श्रीकान्त जी की उनसे बहुत घनिष्ठता थी। उन्हीं की प्रेरणा से आपने नौकरी से त्यागपत्र देने का निर्णय किया और 1960 में त्यागपत्र देकर पूरा समय संघ कार्य को समर्पित करने के लिये प्रचारक जीवन को धारण किया। प्रारम्भ में प्रचारक के नाते नान्देड़ गये। नान्देड़ वही स्थान है यहां भारत को विदेशी शासन से मुक्त करवाने की कामना को लेकर मध्यकालीन भारतीय दश गुरु परम्परा के दशम गुरु श्री गोविन्द सिंह जी ने अपनी इहलीला समाप्त की थी। कुछ अरसा महाराष्ट्र में काम करने के बाद आप 1963 में संघ कार्य हेतु असम प्रदेश में गये। असम में आपने निरन्तर पच्चीस साल 1987 तक कार्य किया। 1971 से 1987 तक असम के प्रान्त प्रचारक रहे। प्रारम्भ में आप ने तेजपुर के विभाग प्रचारक का दायित्व संभाला। बाद में वे शिलांग के विभाग प्रचारक बने। 1967 में विश्व हिन्दू परिषद ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का जनजाति सम्मेलन करने का निश्चय किया। उन दिनों यह सचमुच बहुत कठिन कार्य था। जोशी जी को इस सम्मेलन के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। सम्मेलन की सफलता से जोशी जी की संगठन कुशलता का परिचय मिला।

1969 में स्वामी विवेकानन्द जी की स्मृति में तमिलनाडु में कन्याकुमारी के स्थान पर शिला स्मारक बनाने का उपक्रम प्रारम्भ हुआ। देश भर में लोगों ने उत्साहपूर्वक योगदान देना प्रारम्भ किया। एकनाथ रानाडे सारे देश का प्रवास कर रहे थे। असम में यह जिम्मेदारी श्री कान्त जोशी जी पर आई। पूरे पूर्वोत्तर भारत से लोगों ने इस राष्ट्रीय यज्ञ में उत्साह पूर्वक दान दिया। इस क्षेत्र में विद्या भारती के माध्यम से जनजातियों तक में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में जोशी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जोशी जी जानते थे कि पूर्वोत्तर में सामाजिक समरसता के लिये जनजातियों में संघ कार्य को ले जाना अनिवार्य है। उन दिनों उन्होंने जनजाति संगठन सेंग खासी से सम्बंध बढ़ाना शुरु किया जिसके कारण बाद में मेघालय में संघ कार्य के विस्तार में बहुत सहायता मिली। जोशी जी का मानना था कि यदि पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय क्रियाकलापों को त्वरित करना है तो संघ के अपने स्थायी कार्यालय होने चाहिये। गुवाहाटी, मणिपुर और अगरतल्ला इत्यादि स्थानों पर संघ कार्यालयों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

असम के इतिहास में असम

1969 में स्वामी विवेकानन्द जी की स्मृति में तमिलनाडु में कन्याकुमारी के स्थान पर शिला स्मारक बनाने का उपक्रम प्रारम्भ हुआ। देश भर में लोगों ने उत्साहपूर्वक योगदान देना प्रारम्भ किया। एकनाथ रानाडे सारे देश का प्रवास कर रहे थे। असम में यह जिम्मेदारी श्री कान्त जोशी जी पर आई। पूरे पूर्वोत्तर भारत से लोगों ने इस राष्ट्रीय यज्ञ में उत्साह पूर्वक दान दिया। इस क्षेत्र में विद्या भारती के माध्यम से जनजातियों तक में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में जोशी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आन्दोलन (1979-85) का कालखंड अत्यन्त संवेदनशील माना जाता है। राष्ट्र भाव ओझल न हो पाये, इसके साथ-साथ असम के साथ हो रहे अन्याय का सफलतापूर्वक प्रतिरोध भी हो, इन सभी के बीच संतुलन बिठाना था। उन दिनों जोशी जी ने यह कार्य सफलतापूर्वक किया।

1987 में उन्हें तत्कालीन सरसंघचालक माननीय बाला साहेब देवरस जी के सहायक का उत्तरदायित्व दिया गया। 1994 में देवरस जी ने स्वास्थ्य सम्बंधी कारणों से सरसंघचालक का दायित्व त्याग दिया। परन्तु जोशी जी उसके बाद भी उनके सहायक का कार्य करते रहे। वे बाला साहेब देवरस जी के साथ सहायक के नाते 1986 में उनकी मृत्यु पर्यन्त रहे। 1997 से 2004 तक आप ने संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व संभाला। 2004 में वे संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाये गये।

2002 में मूर्च्छित हो चुकी भारतीय भाषाओं की एक मात्र संवाद समिति हिन्दुस्थान समाचार को पुनः सक्रिय करने का उपक्रम प्रारम्भ किया। यह संवाद समिति 1985 के आसपास सरकारी हस्तक्षेप के कारण बंद हो गई थी। जोशी जी ने 2001 में इस समिति को पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रारम्भ किये तो पत्रकारिता जगत में बहुत लोग कहते सुने गये कि यह कार्य असम्भव है। लेकिन जोशी जी ने कुछ वर्षों में ही इस असम्भव कार्य को ही सम्भव कर दिखाया। आज देश के प्रत्येक हिस्से में समिति के कार्यालय कार्यरत हैं।

पिछले कुछ दिनों से जोशी जी को खाँसी का प्रकोप हो रहा था। कुछ दिन वे चिकित्सा के लिये केरल भी गये। नागपुर में सभी परीक्षण किये गये जो सामान्य थे। वे विश्राम के लिये दो दिन पहले ही दिल्ली से मुम्बई पहुँचे थे।

आठ जनवरी को प्रातःकाल उनके सीने में दर्द हुआ। अस्पताल को ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने अन्तिम साँस ली। ■

(लेखक साहित्यकार, समाजसेवी, स्तंभकार तथा हिन्दुस्थान समाचार में फीचर संपादक है।)

पृष्ठ 25 का शेष...

प्रदर्शित करता है।

चिदंबरम के दावों के विपरीत भाजपा ने राज्य के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया और समाज के हर समुदाय का समर्थन हासिल किया। केशूभाई फैक्टर के बावजूद सौराष्ट्र में वह कांग्रेस से कहीं आगे रही। भाजपा ने अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर और केंद्रीय व दक्षिण गुजरात के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भी बहुमत हासिल किया। इसका मोटा-मोटा मत प्रतिशत करीब 48 फीसद रहा, कांग्रेस से आठ प्रतिशत ज्यादा। चुनाव विश्लेषकों ने पाया कि भाजपा ने 2002 के दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित 24 विधानसभा क्षेत्रों में भी ज्यादातर सीटें जीती हैं। 20 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम वोटों वाले क्षेत्रों में भाजपा ने 70 फीसद से ज्यादा सीटें जीतीं। शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस बुरी तरह हारी और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन कमजोर रहा। इसलिए लोगों ने इस राय का खंडन कर दिया कि कांग्रेस समावेशी दल है और भाजपा नहीं।

कांग्रेस ने पूरे प्रचार अभियान के दौरान एक बार भी एम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था, लेकिन 2012 में उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या मोदी अब मौत के सौदागर नहीं रहे? क्या कांग्रेस ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया? हर कोई जानता था कि गुजरात में 2012 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर भी कांग्रेस समय से कुछ नहीं कर पाई। यह न तो मोदी के सामने किसी मजबूत नेता को ही ला सकी और न कोई प्रभावी चुनावी गठजोड़ ही बना सकी। मिसाल के तौर पर 2007 में भाजपा के 49.12 फीसद के मुकाबले कांग्रेस ने 38 फीसद वोट हासिल किए थे। इस बार कांग्रेस के वोट दो प्रतिशत बढ़े और भाजपा का एक फीसद गिरा। केशूभाई पटेल भले ही बुरी तरह हार गए हों, लेकिन उन्होंने तीन प्रतिशत वोटों पर कब्जा किया। ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस कुछ चतुर चुनावी इंजीनियरिंग कर मोदी को कड़ा मुकाबला दे सकती थी, लेकिन पार्टी इतनी बुरी तरह हतोत्साहित थी कि इसने एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कंधों पर बंदूक रखकर चलना ही बेहतर समझा। यहां तक कि इसके तथाकथित राष्ट्रीय नेताओं राहुल और सोनिया गांधी भी राज्य में प्रचार अभियान के दौरान सिर्फ फौरी उपस्थिति ही दर्ज की। इस पर भी गांधियों ने अपने दुर्ग में ही अभियान चलाया। ऐसा करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि पार्टी ने उन सभी क्षेत्रों में जीत दर्ज की, जहां-जहां राहुल गए थे। एक केंद्रीय मंत्री की यह बात सुनकर किसी ने पूछा, तब फिर कांग्रेस ने उन्हें पूरे गुजरात में क्यों नहीं भेजा? ■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का जवाब भारत सरकार को ईंट का जवाब पत्थर की तरह देना चाहिए ताकि पाक की नापाक हरकतों पर विराम लग सके। इस घटना को देश के 121 करोड़ भारतीयों का अपमान करार देते हुये उन्होंने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान के खिलाफ हर जवाबी कार्रवाई का भाजपा समर्थन करेगी। अब सरकार को आगे आना चाहिए। इस मौके पर भाजपा ने पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। गौरतलब है कि युद्धविराम का उल्लंघन कर पाकिस्तानी सैनिक 8 जनवरी को भारत की सीमा में घुस आए और जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले स्थित नियंत्रण रेखा (एलओसी) के निकट एक चौकी पर तैनात दो भारतीय जवानों की गला रेत कर हत्या कर दी और इस जघन्य कारनामे के बाद एक जवान का सिर साथ पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ ले गए।

घटना से आक्रोशित हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने 9 जनवरी को दिल्ली प्रदेश मुख्यालय 14 पंडित पन्त मार्ग से पाकिस्तान दूतावास की ओर जबरदस्त नारे लगाते हुये मार्च किया। पुलिस ने सब को राम मनोहर अस्पताल के गोल चक्कर पर रोक लिया। इस पर कार्यकर्ता गुस्से में आ गये और उन्होंने पुलिस के बैरियर तोड़ दिये। मार्च में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल थीं। प्रदर्शनकारी हाथों में प्लेकार्ड्स लिये थे। उन पर लिखा था - भारतीय सैनिकों पर चुपके से वार-नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, पाक सैनिकों का निर्मम अत्याचार-नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, पाकिस्तानियों होश में आओ-बर्बरता पर काबू पाओ। भारत के सब्र को कमजोरी न समझो आदि। श्री गुप्ता जम्मू के पुंछ जिले में एलओसी का उल्लंघन कर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दो भारतीय सैनिकों की बर्बरतापूर्वक हत्या करने और उनका सिर काटकर ले जाने की लोमहर्षक कार्रवाई के विरोध में भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित पाकिस्तान दूतावास पर मार्च करते हुये उपस्थित कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बार-बार बढ़ाती है, जवाब में हम को निर्मम हत्यायें मिलती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? अत्याचार, आतंक और बर्बरता की एक हद होती है, जो कि पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना ने लांघ दी है।

प्रदर्शनकारी हाथों में प्लेकार्ड्स लिये थे। उन पर लिखा था - भारतीय सैनिकों पर चुपके से वार-नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, पाक सैनिकों का निर्मम अत्याचार-नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, पाकिस्तानियों होश में आओ-बर्बरता पर काबू पाओ।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में 400 मीटर तक घुसपैठ करके 2 सैनिकों का सिर काटा है, उससे कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के बलिदान की याद ताजा हो जाती है। भारत ने तभी पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वह ऐसी हरकतों से बाज आये अन्यथा नतीजे गंभीर होंगे। इस पर भी पाकिस्तान और उसकी सेना ने भारतीय सीमाओं का उल्लंघन करना जारी रखा है। भारत सरकार को अब चुप नहीं बैठना चाहिए। इस प्रदर्शन और पैदल मार्च में दिल्ली प्रदेश भाजपा सह प्रभारी श्री रामेश्वर चौरसिया, राष्ट्रीय सचिव सुश्री आरती मेहरा एवं सुश्री वाणी त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री श्री रमेश बिधूड़ी, श्री प्रवेश वर्मा एवं श्री आशीष सूद सहित सैंकड़ों पार्षदों, अनेक विधायकों तथा वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। ■

राजस्थान

देश धनवान, जनता गरीब : नितिन गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा देश बौद्धिक सम्पदा, सभ्यता एवं संस्कृति में श्रेष्ठ है। हमारे पास सब कुछ होने के कारण देश धनवान है, लेकिन देश की जनता बहुत गरीब है। वे 31 दिसम्बर को जोधपुर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित स्वदेशी मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 21 वीं सदी भारत की सदी होगी। स्वदेशी जागरण मंच के मेले देश के विकास में अच्छे सहयोगी साबित होंगे। देश के विकास के लिए उद्योगों का विकास जरूरी है। इसके लिए वाटर, पॉवर, ट्रांसपोर्ट व कम्यूनिकेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं। इसका कारण गलत नीतियां व भ्रष्ट शासन है। स्वदेशी का विचार देश का विकास कर सकता है।

श्री नितिन गडकरी ने कहा कि केन्द्र में भाजपा सत्ता में आई तो पाक विस्थापितों की नागरिकता का अधिकार दोबारा कलेक्टर को सौंपा जाएगा। वे शहर के गांगाणा रोड स्थित कैम्प में पाक विस्थापितों को संबोधित कर रहे थे। भाजपा सरकार में शरणार्थियों की नागरिकता का अधिकार कलेक्टर को सौंपा था। उन्होंने पार्टी की ओर से पांच लाख रूपए विस्थापितों को दिए जाने की घोषणा की।

हिमाचल प्रदेश

प्रेम कुमार धूमल बने भाजपा विधायक दल के नेता

गत 25 दिसम्बर को शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से श्री प्रेम कुमार धूमल को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। पीटरहॉफ में हुई विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक व राष्ट्रीय महासचिव श्री थावर चंद गहलोत भी उपस्थित थे।

भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रेम कुमार धूमल ने श्री वीरभद्र सिंह द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ एसआइटी द्वारा जांच के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा किसी भी जांच के लिए तैयार है। भाजपा सरकार ने गलत कुछ नहीं किया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

उन्होंने कहा कि पांच साल तक सत्ता में रहते हुए भाजपा ने प्रदेश में किए विकास कार्य को देखते हुए विभिन्न स्वयंसेवी देश विदेश की संस्थाओं तथा भारत सरकार की ओर से 81 अवार्ड हासिल किए हैं। श्री धूमल ने महिलाओं पर बढ़ रहे जघन्य अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे अपराधों की निंदा की है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष की जिम्मेवारी को भाजपा बखूबी निभाएगी तथा नई सरकार को विकास संबंधी नीतियों में भरपूर सहयोग देगी। भाजपा विरोध के नाम पर विरोध नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि इस बात का मलाल रहेगा कि पांच साल तक भाजपा सरकार द्वारा अनेक जन कल्याण योजनाएं शुरू की गईं, जिसका सभी वर्गों को लाभ मिला। इसके बावजूद भी सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई।

उत्तर प्रदेश

प्रदेश में अटल सुशासन यात्रा शुरू

देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की खूबियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने 30 दिसम्बर से प्रदेशभर में अटल सुशासन यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा 12 जनवरी तक अलग-अलग हिस्सों में चलाई जाएगी।

राज्य में चलाई जा रही इस यात्रा के तहत भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेशभर में खराब कानून-व्यवस्था, धान खरीद केंद्रों पर खरीद नहीं होने, गन्ना किसानों की समस्याओं और खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश को लेकर जनता के बीच जनजागरण अभियान चलाएंगे।

इस यात्रा के तहत बीजेपी केंद्र की विफलताओं को भी जनता के बीच उजागर करेगी। भाजपा नेताओं के मुताबिक मौसम की प्रतिकूलता के चलते जिन क्षेत्रों में आंदोलन नहीं हो पाए हैं, वहां 20 जनवरी तक आंदोलन चलाने का फैसला किया गया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अटल सुशासन यात्रा स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी तक चलेगी। यह यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। डॉ. वाजपेयी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जनजागरण अभियान के माध्यम से

सपा, बसपा और कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने लाने की कोशिश करें और लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धियां बताएं।

बिहार

2013 को महिला सम्मान वर्ष के रूप में मनाएगी भाजपा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सीपी ठाकुर ने कहा कि हम वर्ष 2013 को 'महिला सम्मान दिवस' के रूप में मनाएंगे। वे 31 दिसम्बर को 'दामिनी' (दिल्ली कांड की पीड़िता) के लिए पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'दामिनी' को पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. ठाकुर ने महिला उत्पीड़न के मामले में और कठोर सजा के प्रावधान की वकालत की। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम हिस्सों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिये नजर रखी जानी चाहिए। उसे 26 जनवरी पर उच्च सम्मान देना चाहिए।

श्रद्धांजलि सभा को मंगल पांडेय, पंडित हरिशंकर शर्मा, संजय मयूख, रेखा त्रिवेदी, चंद्रमुखी देवी, संजीव मिश्र, अशोक भट्ट, राकेश सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों ने संबोधित किया। सबने बलात्कारियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही।

छत्तीसगढ़

राज्य की विकास दर से प्रेरणा ले सभी राज्य : प्रणव मुखर्जी

राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ में हो रहे सामाजिक आर्थिक विकास पर कहा है कि सभी राज्यों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ ने पिछले कुछ वर्षों से दहाई अंकों की अपनी विकास दर को लगातार कायम रखा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सभी राज्यों को छत्तीसगढ़ जैसी विकास दर हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। श्री प्रणव मुखर्जी ने 16 दिसम्बर को नई दिल्ली में उद्योग-व्यापार जगत से जुड़े संगठन पीएचडी (पंजाब-हरियाणा-दिल्ली) चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।

सम्मेलन में राष्ट्रपति ने पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से छत्तीसगढ़ को देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार और सम्मान ग्रहण किया।

उल्लेखनीय है कि रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति पर भारत सरकार की संस्था केन्द्रीय श्रम ब्यूरो ने पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 के अपने राष्ट्रीय सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यके रूप में चिह्नांकित किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पीएचडी चेम्बर के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह पुरस्कार पूरी विनम्रता के साथ प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया।

सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमारिया और छत्तीसगढ़ के कृषि और श्रम मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से प्रयास कर रही है. इसके फलस्वरूप हमारे यहाँ रोजगार और स्वरोजगार का बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है।

जम्मू-कश्मीर

भाजपा ने आतंकवाद प्रभावितों का दर्द जाना

आतंकवाद से प्रभावित और रिफ्यूजियों के मानवाधिकार हनन का जायजा लेने 29 दिसम्बर को भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी व सांसद श्री अविनाश खन्ना रियासी के तलवाड़ा कैंप में शरण लिए परिवारों से मिले।

तलवाड़ा में कंबल बांटने के बाद प्रभावित परिवारों को संबोधित करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भाजपा उनके साथ है। आतंकवाद प्रभावित इन परिवारों के मसलों को पार्टी संसद में उठाएगी। कैंप में इस समय पांच सौ परिवार शरण लिए हुए हैं। वहीं, डॉ. निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन परिवारों को सुरक्षा के साथ वापस भेजे। डोडा और अन्य आतंकवाद प्रभावित इलाकों में पीछे छूटी इन लोगों की संपत्ति पर हुए कब्जों को हटाने का जिम्मा भी सरकार का ही है। ■